मंथली पॉलिसी रिव्यू

सितंबर 2020

इस अंक की झलकियां

संसद का मानसून सत्र 2020 आयोजित, 25 बिल पारित (पेज 2)

सत्र के दौरान कृषि और कॉन्ट्रैक्ट खेती से संबंधित तीन बिल, 25 कानूनों को एकीकृत और उनका स्थान लेने वाली तीन श्रम संहिताओं और विदेशी योगदान रेगुलेशन एक्ट, 2010 में संशोधनों को पारित किया गया।

मानसून सत्र के दौरान संसद में 20 बिल पेश (पेज 2)

इनमें निम्नलिखित बिल शामिल हैं, फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2020, असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल, 2020 और नेशनल एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशंस कमीशन बिल, 2020।

2020-21 के लिए पहली अनुपूरक अनुदान मांगों को संसद में पारित किया गया (पेज 10)

पहली अनुपूरक मांगों में 1,66,984 करोड़ रुपए के वृद्धिशील नकद व्यय का प्रस्ताव है जोकि 2020-21 के लिए मंजूर 30,42,230 करोड़ रुपए की राशि में 5.5% की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

कुछ राहतों के साथ देशव्यापी लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया (पेज 2)

कंटेनमेंट जोन्स में सिर्फ अनिवार्य गतिविधियों की अनुमति होगी। कुछ शर्तों के साथ 15 अक्टूबर से स्कूल, थियेटर को खोला जा सकता है और बड़ी संख्या के सार्वजनिक कार्यक्रमों को शुरू किया जा सकता है।

वैक्सीन के विकास के लिए ड्राफ्ट रेगुलेटरी दिशानिर्देश जारी (पेज 4)

इन दिशानिर्देशों का लक्ष्य कोविड-19 वैक्सीन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए वैक्सीन की निरंतर और सुरक्षित मैन्यूफैक्चरिंग को सुनिश्चित करना है। इसमें ट्रायल, सुरक्षित मूल्यांकन, मैन्यूफैक्चरिंग, टेस्टिंग और डिलिवरी के लिए प्रक्रियाओं तथा न्यूनतम शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है।

2020-21 की पहली तिमाही के दौरान चालू खाता अधिशेष जीडीपी का 3.9% (पेज 9)

2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में 2020-21 में इसी अवधि में भारत का चालू खाता घाटा 15 बिलियन USD (जीडीपी का 2.1%) से बढ़कर 19.8 बिलियन USD (जीडीपी का 3.9%) हो गया।

ऑटोमैटिक रूट से 74% तक के निवेश को मंजूरी देने के लिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई नीति में संशोधन (पेज 30)

नीति रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी देती है और इसमें नए लाइसेंस की मांग करने वाली कंपनियों में ऑटोमैटिक रूट से 74% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी है। 74% से अधिक निवेश के लिए सरकारी मंजूरी जरूरी है। पहले यह सीमा 49% थी।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 जारी (पेज 31)

नई प्रक्रिया, 2016 की प्रक्रिया में संशोधन करती है। इसमें अधिग्रहण की एक नई श्रेणी को जोड़ा गया है और विभिन्न श्रेणियों के अधिग्रहण के लिए स्वदेशी कंटेट की जरूरत में इजाफा किया गया है।

स्टैंडिंग कमिटी ने वर्चुअल न्यायालयों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी (पेज 28)

सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) पक्षों की सहमति से प्रायोगिक आधार पर वर्चुअल न्यायालय प्रणाली को जारी रखना, और (ii) सलाहकार प्रक्रिया के जरिए पायलट आधार पर पूर्ण रूप से वर्चुअल न्यायालय प्रणाली को अंततः लागू करना।

PRS Legislative Research ■ Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ■ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ■ New Delhi – 110002
Tel: (011) 43434035, 23234801 ■ www.prsindia.org

वित्त संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने स्टार्टअप्स के वित्त पोषण पर रिपोर्ट सौंपी (पेज 13)

कमिटी ने स्टार्टअप्स के वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए जैसे स्टार्टअप्स में निवेश पर दीर्घावधि के कैपिटल गेन्स को खत्म करना और बीमा कंपनियों एवं बैंकों को स्टार्टअप्स में निवेश को चैनलाइज करने की अनुमति देना।

भूजल निकासी को रेगुलेट और नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित (पेज 35)

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि घरेलू उपभोक्ताओं, ग्रामीण पेय जल योजनाओं, सशस्त्र बलों, किसानों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को एक निश्चित सीमा तक पानी निकालने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं है।

ट्राई ने ओटीटी संचार और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं पर दिशानिर्देश जारी किए (पेज 33)

ट्राई ने सुझाव दिया कि इस वक्त ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं में कोई रेगुलेटरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसने क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाताओं के लिए इंडस्ट्री बॉडी का भी सुझाव दिया।

संसद

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

संसद के मानसून सत्र 2020 का आयोजन

संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर, 2020 से 23 सितंबर, 2020 के दौरान आयोजित हुआ।[1] कोरोनावायरस महामारी के कारण फिजिकल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करने के लिए दोनों सदनों में प्रबंध किए गए। सत्र को दो हिस्सों में संचालित किया गया, एक सदन की बैठक दिन में और एक की दोपहर बाद बैठक हुई।[1] सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपात स्थिति और अनेक सांसदों के कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण सत्र को आठ दिन पहले समाप्त कर दिया गया।[1]

सत्र के दौरान 20 बिल पेश किए गए (विनियोग विधेयक के अतिरिक्त)।[2] इनमें से 11 बिल अध्यादेशों का स्थान लेते हैं।

संसद ने 25 बिल पारित किए (विनियोग विधेयक को छोड़कर)।[2] इनमें से कृषि व्यापार एवं कॉन्ट्रैक्ट खेती पर तीन बिल, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसायगत सुरक्षा पर तीन श्रम संहिताएं, विदेशी योगदान (रेगुलेशन) संशोधन बिल, 2020, महामारी रोग (संशोधन) बिल, 2020, और एयरक्राफ्ट (संशोधन) बिल, 2019 शामिल हैं।[2] सत्र के दौरान 20 बिल पेश किए गए जिनमें से 17 बिल (85%) इस सत्र में पारित कर दिए गए।[2]

मानसून सत्र 2020 के दौरान लेजिसलेटिव बिजनेस पर अधिक विवरण के लिए कृपया देखें। सत्र के दौरान संसद के कामकाज पर अधिक विवरण के लिए कृपया देखें।

कोविड-19

30 सितंबर, 2020 तक भारत में कोविड-19 के 62,25,763 पुष्ट मामले थे।[3] इनमें 51,87,825 मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 97,497 की मृत्यु हुई है।[3] देश और विभिन्न राज्यों में दैनिक मामलों की संख्या के लिए कृपया यहां देखें।

केंद्र सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों और इससे प्रभावित नागरिकों और व्यवसायों को मदद देने के वित्तीय उपायों की घोषणाएं की हैं। केंद्र और राज्यों द्वारा जारी मुख्य अधिसूचनाओं के विवरण के लिए कृपया यहां **देखें**। सितंबर 2020 में इस संबंध में मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं।

लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया, अतिरिक्त राहत दी गई

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (एनडीएमए) ने मार्च में 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन किया था।[4] इसके बाद लॉकडाउन को आठ बार बढ़ाया गया

है। इस बार का लॉकडाउन 31 अक्टूबर, 2020 तक लागू है।[5] स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर चिन्हित कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा। इन जोन्स में केवल मेडिकल इमरजेंसी और अनिवार्य वस्तुओं एवं सेवाओं की सप्लाई की अनुमति होगी।

राज्यों को केंद्र सरकार की पूर्व सलाह लिए बिना कंटेनमेंट जोन्स के बाहर स्थानीय लॉकडाउन करने की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट जोन्स से बाहर के क्षेत्रों में कुछ ही गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा और उनकी चरणबद्ध बहाली की जाएगी।

सबसे पहले, राज्य ग्रेडेड तरीके से और स्कूल/संस्थान के प्रबंधन की सलाह से 15 अक्टूबर, 2020 के बाद शिक्षण संस्थानों और कोचिंग संस्थानों को खोलने का फैसला कर सकते हैं। यह कुछ शर्तों के अधीन होगा, जैसे : (i) लर्निंग का वरीयता प्राप्त तरीका ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग ही होगा, और (ii) विद्यार्थी माता-पिता की लिखित सहमति से स्कूल आएंगे। इसके अतिरिक्त रिसर्च स्कॉलर्स (पीएचडी) तथा तकनीकी एवं प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के पोस्टग्रैजुएट विद्यार्थी, जिन्हें लेबोरेट्री या एक्सपेरिमेंटल कार्यों की जरूरत है, संस्थान के प्रमुख (केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थान) और अन्य सभी संस्थानों के लिए राज्य सरकार के फैसले के आधार पर 15 अक्टूबर, 2020 के बाद से उच्च शिक्षण संस्थानों का लाभ उठा सकते हैं।

दूसरा, 15 अक्टूबर, 2020 से निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी जाएगी: (i) युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (सोप्स) के आधार पर खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्वीमिंग पूल, (ii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी सोप्स के आधार पर कंटेनमेंट जोन्स से बाहर के क्षेत्रों में 50% क्षमता के साथ सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स, और (iii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सोप्स के आधार पर इंटरटेनमेंट पार्क और उसी के समान स्थान।

तीसरा, कंटेनमेंट जोन्स के बाहर 15 अक्टूबर, 2020 के बाद 100 से अधिक लोगों के जमावड़े वाले सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और बड़े स्तर के कार्यक्रम की अनुमति होगी, पर यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा: (i) क्लोस्ड स्पेस में अधिकतम 50% क्षमता और 200 लोगों की अधिकतम सीमा, और (ii) ओपन स्पेस में मैदान/स्थान के आकार तथा सोशल डिस्टेंसिंग के अन्य उपायों का आकलन। इस संबंध में राज्य सरकार विस्तृत सोप्स जारी करेगी।

चौथा, गृह मामलों के मंत्रालय की अनुमति के अतिरिक्त सभी अंतरराष्ट्रीय यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी। रेल, घरेलू हवाई यात्रा और अंतरराष्ट्रीय आवाजाही इस संबंध में जारी सोप्स द्वारा रेगुलेटेड रहेगी। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों और वस्तुओं की राज्यों के भीतर या राज्यों के बीच की आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और इसमें पड़ोसी देशों के साथ लैंड बॉर्डर ट्रेड (संधियों के आधार पर) के जरिए आने वाले व्यक्ति या वस्तुएं भी शामिल हैं।

महामारी रोग (संशोधन) बिल, 2020 पारित

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

महामारी रोग (संशोधन) बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[6] बिल महामारी रोग एक्ट, 1897 में संशोधन करता है। एक्ट में खतरनाक महामारियों की रोकथाम से संबंधित प्रावधान हैं। बिल उस अध्यादेश का स्थान लेता है जोकि इस एक्ट में संशोधन करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है जिसमें स्वास्थ्यकर्मी का महामारी से जुड़ा कोई हित हो तो उसके लिए बिल में सजा निर्दिष्ट की गई है।[7,8]

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

संसद में टैक्सेशन कानून में संशोधन और कुछ प्रावधानों में राहत देने वाला बिल पारित

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

टैक्सेशन और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[9] बिल मार्च, 2020 में जारी अध्यादेश का स्थान लेता है।[10] बिल इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (आईटी एक्ट) जैसे कुछ कर कानूनों के अनुपालन में राहत प्रदान करता है। कोविड-19 के फैलने के कारण यह राहत प्रदान की गई है।

बिल आईटी एक्ट के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने और कटौतियों का दावा करने से संबंधित समय सीमा को बढ़ाता है। यह केंद्र सरकार को इस बात की अनुमति देता है कि वह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर एक्ट, 2017 के अंतर्गत जीएसटी संबंधी अनुपालन और कार्रवाइयों की समय सीमा भी बढ़ा सकती है।

बिल पर अधिक विवरण के लिए कृपया देखें।

इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (दूसरा संशोधन) बिल, 2020 संसद में पारित

Saket Surya (saket@prsindia.org)

इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (दूसरा संशोधन) बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[11] यह 5 जून, 2020 को जारी अध्यादेश का स्थान लेता है। अध्यादेश इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता, 2016 में संशोधन करता है।[12] संहिता कंपनियों और व्यक्तियों के बीच इनसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने की समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करती है। इनसॉल्वेंसी वह स्थिति है, जब व्यक्ति या कंपनियां अपना बकाया ऋण नहीं चुका पाते। बिल 25 मार्च, 2020 से लेकर छह महीने के दौरान हुए डीफॉल्ट्स के लिए कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया (सीआईआरपी) को शुरू करने को अस्थायी रूप से निरस्त करने का प्रयास करता है। यह केंद्र सरकार को यह अनुमति देता है कि वह इस अवधि को छह महीने के लिए बढ़ा सकती है।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

निरस्त करने की अवधि तीन महीने बढ़ाई गई

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी (दूसरा संशोधन) एक्ट, 2020 के अंतर्गत सीआईआरपी के निरस्त करने की अवधि को 25 सितंबर, 2020 तक बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है।[13]

सांसदों और मंत्रियों के वेतन और एनटाइटिलमेंट्स को कम करने वाले बिल्स संसद में पारित

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

संसद ने सांसदों और मंत्रियों के वेतन और परिलब्धियों के प्रावधानों से संबंधित कानूनों में संशोधन करने वाले दो बिल को संसद में पारित कर दिया।[14,15] बिल अप्रैल 2020 में जारी अध्यादेशों का स्थान लेते हैं। बिल सांसदों के वेतन (एक लाख रुपए प्रति वर्ष) में एक वर्ष के लिए 30% की कटौती करते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रियों के सत्कार भत्ते में भी 30% की कटौती की गई है (जोकि आगंतुकों के सरकारी मनोरंजन के लिए होता है। प्रधानमंत्री का सत्कार भत्ता 3,000 रुपए, कैबिनेट मंत्रियों का 2,000 रुपए और राज्य मंत्रियों का 1,000 रुपए है)।[14,15]

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

वैक्सीन के विकास के लिए ड्राफ्ट रेगुलेटरी दिशानिर्देश जारी

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

केंद्रीय ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल संगठन (सीडीएससीओ) ने कोविड-19 वैक्सीन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए वैक्सीन्स के विकास के लिए ड्राफ्ट रेगुलेटरी दिशानिर्देश जारी किए।[16] दिशानिर्देशों में निम्नलिखित को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा: (i) वैक्सीन विशिष्ट होगी और निरंतर बनाई जाएगी, (ii) उसका स्टोरेज और शेल्फ लाइफ स्थिर होगी, (iii)

इम्यून रिस्पांस को मापने के लिए डेटा जनरेशन किया जाएगा, (iv) उसके सुरक्षित होने के लिए क्लिनिकल ट्रायल किए जाएंगे, और (v) इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन के बाद प्रतिकूल प्रभावों का आकलन किया जाएगा। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मैन्यूफैक्चरिंग**: दिशानिर्देशों में सुरक्षित और मानकीकृत मैन्यूफैक्चरिंग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित को निर्दिष्ट किया गया है: (i) लेबोरेट्री के उपयुक्त तरीकों का इस्तेमाल, (iii) प्रि-क्लीनिकल अध्ययन में रिप्रेजेंटेटिव वैक्सीन लॉट्स का इस्तेमाल, (iv) सीडीएससीओ और संबंधित राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा व्यापक स्तर पर स्टेबिलिटी टेस्टिंग और टेस्टिंग, और (v) इम्यून रिस्पांस को मापने के लिए नॉन-क्लिनिकल अध्ययन।
- **नॉन-क्लिनिकल ट्रायल्स**: दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 वैक्सीन में वैक्सीन एसोसिएटेड एनहांस्ड रेसपिरेटरी डिजीज (ईआरडी) का खतरा है और क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू करने से पहले नॉन-क्लिनिकल ट्रायल्स करने का निर्देश देते हैं ताकि कम से कम जोखिम हो। ईआरडी ऐसे इम्यूनाइजेशन का परिणाम होते हैं जिनमें जहां संक्रामक रोगों की एंडीबॉडी नहीं बनती।
- **इम्यूनोजेनिसिटी:** इम्यूनोजेनिसिटी किसी फॉरेन सबस्टांस (जैसे वैक्सीन) की इम्यून रिस्पांस को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अलग-अलग फैक्टर्स और सैंपल्स में इम्यूनोजेनिसिटी का अध्ययन करने के लिए दिशानिर्देश कहते हैं कि एक तुलनात्मक फ्रेमवर्क में फॉरमूलेशन, वैक्सीन रिस्पांस, को-एडमिनिस्ट्रेशन, और मैटीरियल इम्यूनाइजेशन का विश्लेषण करने के लिए ट्रायल किए जाने चाहिए।

ड्राफ्ट दिशानिर्देशों पर 12 अक्टूबर, 2020 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।[17]

पीएमजीकेपी के अंतर्गत स्वास्थ्यकर्मियों की बीमा अवधि को छह महीने के लिए बढ़ाया गया

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के अंतर्गत स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बीमा योजना की समय अवधि को बढ़ा दिया है। इस योजना को मार्च 2020 में 90 दिनों के लिए घोषित किया गया था।[18] सरकार ने इस योजना को छह महीने के लिए, दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है।[19]

योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी से संबंधित जिम्मेदारियों में संलग्न निजी अस्पतालों के कर्मचारियों सहित 22 लाख स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया गया है।[20] लाभार्थी के अन्य बीमा कवर के अतिरिक्त यह बीमा लाभ दिया जाता है और इसके लिए किसी अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। योजना का प्रीमियम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय चुकाता है।

गंतव्य राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए सलाहकार दिशानिर्देश जारी

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कोविड-19 के दौरान गंतव्य राज्यों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों को सलाहकार दिशानिर्देश जारी किए हैं।[21] इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **नोडल अधिकारी:** राज्य प्रवासी श्रमिक संबंधी सभी विषयों में समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य और जिला/ब्लॉक/तहसील स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। मूल तथा गंतव्य राज्यों के नोडल अधिकारी इस संबंध में पीरिऑडिक रिव्यू मीटिंग्स कर सकते हैं।
- **स्क्रीनिंग और टेस्टिंग**: मूल और गंतव्य राज्यों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित प्रोटोकॉल्स के आधार पर प्रवासी श्रमिकों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग

को सुनिश्चित करना होगा। श्रमिकों पर कोविड-19 की टेस्टिंग, उपचार या क्वारंटाइन का वित्तीय दबाव नहीं डाला जाएगा।

- **डेटाबेस**: प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस बनाने के लिए मूल राज्य को प्रवासी श्रमिकों के संबंध में डेटा जमा करना होगा (एडवाइजरी में इसका फॉरमैट दिया गया है) और उसे गंतव्य राज्य के साथ साझा करना होगा।
- **योजनाओं में नामांकन**: मूल और गंतव्य राज्य की सरकारों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी सरकारी योजनाओं में प्रवासी श्रमिकों का नामांकन सुनिश्चित करना होगा। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं में शामिल न होने वाले श्रमिकों के डेटा को निम्नलिखित से शेयर किया जाना चाहिए: (i) श्रम कल्याण महानिदेशालय के साथ, ताकि इन योजनाओं में उनका कवरेज संभव हो, और (ii) संबंधित श्रम प्रशासन से, ताकि वेतन, व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थितियों से संबंधित मौजूदा कानूनों का अनुपालन संभव हो। मूल और गंतव्य राज्य की सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आयुष्मान भारत योजना में प्रवासी श्रमिकों का नामांकन सुनिश्चित हो।
- **राशन का प्रावधान:** कमजोर तबके के प्रवासी श्रमिकों को चिन्हित किया जाए और प्रशासन द्वारा राशन दिया जाए।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत व्यय की सीमा निर्दिष्ट

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की स्थापना अनिवार्य की गई है। गृह मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया फंड (एसडीआरएफ) में मौजूद अधिकतम 50% राशि को खर्च करने की अनुमति दी है।[22] यह सीमा पहले अधिकतम 35% पर निर्धारित थी।[23]

यह अनुमति निम्नलिखित पर व्यय के लिए दी गई है: (i) क्वारंटाइन, सैंपल कलेक्शन और स्क्रीनिंग की सुविधा, और (ii) कोविड-19 के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद/लैब्स।

कोविड-19 संबंधी स्ट्रेस के लिए रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क पर एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट जारी

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

कोविड संबंधी स्ट्रेस के लिए रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क पर गठित एक्सपर्ट कमिटी (चेयर: के. वी. कामत) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।[24] आरबीआई ने इस रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क को अगस्त 2020 में जारी किया था।[25]

फ्रेमवर्क कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए स्ट्रेस को हल करने के लिए उधारकर्ताओं हेतु स्पेशल विंडो का प्रावधान करता है। 1 मार्च 2020 को उधारकर्ताओं के खाते जो स्टैंडर्ड (ओवरड्यू नहीं हों, या 30 दिनों से कम समय के लिए ओवरड्यू हों) थे, वे एसेट क्लासिफिकेशन में गिरावट के बिना अपने ऋण (रेज़ोल्यूशन प्लान को लागू किए बिना) के पुनर्गठन के पात्र हैं। फ्रेमवर्क को 31 दिसंबर, 2020 तक लागू किया जाना चाहिए। पर्सनल और नॉन पर्सनल लोन्स के लिए अलग फ्रेमवर्क दिया गया है।

नॉन-पर्सनल उधारकर्ताओं के लिए रेज़ोल्यूशन प्लान के मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र-वार वित्तीय मापदंडों की पहचान के लिए कमिटी का गठन किया गया था। कमिटी को 1,500 करोड़ रुपए और उससे अधिक के कुल जोखिम वाले उधारकर्ताओं से संबंधित रेज़ोल्यूशन प्लान का मूल्यांकन करने के लिए भी कहा गया था।

कमिटी ने रेज़ोल्यूशन प्लान के मूल्यांकन के लिए सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और कवरेज से संबंधित पांच वित्तीय अनुपातों की पहचान की। सॉल्वेंसी अनुपात (जैसे ब्याज, मूल्यह्रास और कर अनुपात से पहले कमाई की तुलना में कुल ऋण) किसी कंपनी के दीर्घकालिक वित्तीय दायित्वों को

पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। तरलता अनुपात या वर्तमान अनुपात अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। कवरेज अनुपात (जैसे ऋण सेवा कवरेज अनुपात) यह दर्शाता है कि नकदी प्रवाह किस हद तक ऋण भुगतान (एक निश्चित समय अवधि में) को कवर कर सकता है।

कमिटी ने बिजली, निर्माण, और अचल संपत्ति सहित 26 क्षेत्रों का चयन किया, और वित्तीय अनुपात की क्षेत्रवार वैल्यू के संबंध में सुझाव दिया, जिसे किसी उधारकर्ता के रेज़ोल्यूशन प्लान का मूल्यांकन करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, निर्माण क्षेत्र में उन उधारकर्ताओं के लिए रेज़ोल्यूशन प्लान पर विचार किया जा सकता है, जिनके वित्तीय प्रदर्शन का अनुमान ऐसा है कि कुल ऋण/ईबीआईडीटीए अनुपात 2021-22 तक चार या उससे कम होगा और ऋण सेवा कवरेज अनुपात 2022-23 तक एक या अधिक होगा (अन्य मानदंडीय सीमा के साथ)।

जिन क्षेत्रों के लिए सीमा निर्धारित नहीं हैं, उनमें: (i) ऋणदाता सॉल्वेंसी अनुपात के संबंध में अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, (ii) मौजूदा अनुपात और ऋण चुकौती कवरेज अनुपात एक या उससे अधिक होना चाहिए, और (iii) औसत ऋण चुकौती कवरेज अनुपात 1.2 या उससे अधिक होना चाहिए।

2019-20 में कंपनियों की वार्षिक आम बैठक के आयोजन की समय अवधि बढ़ाई गई

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 2019-20 के लिए कंपनियों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के आयोजन की समय अवधि को 30 सितंबर से 31 दिसंबर, 2020 कर दिया है।[26] यह उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2020 को खत्म हो गया।

अप्रैल में एमसीए ने उन कंपनियों को 30 सितंबर, 2020 तक एजीएम करने की अनुमति दी थी, जिनका वित्तीय वर्ष 31 दिसंबर, 2019 को खत्म हो गया था। उन्हें तीन महीने का एक्सटेंशन दिया गया था।[27]

यूजीसी ने कोविड-19 के मद्देनजर यूनिवर्सिटीज़ के एकैडमिक कैलेंडर में संशोधन किए

Anurag Vaishnav (anurag@prsindia.org)

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने कोविड-19 महामारी के कारण मौजूदा स्थितियों के मद्देनजर शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एकैडमिक कैलेंडर में संशोधन जारी किए हैं।[28] महामारी को देखते हुए यूजीसी ने अप्रैल 2020 में दिशानिर्देश जारी कर प्रस्ताव रखा था कि प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए 1 सितंबर, 2020 से कक्षाएं शुरू की जाएंगी। संशोधित कैलेंडर के अनुसार, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए 1 नवंबर, 2020 से कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित कैलेंडर दिया गया है।

तालिका 1: 2020-21 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर

विशेष	तिथि
दाखिला प्रक्रिया समाप्त	31 अक्टूबर, 2020
कक्षाएं प्रारंभ	1 नवंबर, 2020
परीक्षाओं का संचालन	8 मार्च- 26 मार्च 2021
सेमिस्टर ब्रेक	27 मार्च– 4 अप्रैल, 2021
इवन सेमिस्टर की कक्षाएं प्रारंभ	5 मई, 2021
परीक्षाओं का संचालन	9 अगस्त– 21 अगस्त, 2021
अगला शैक्षणिक सत्र शुरू	30 अगस्त, 2021

30 नवंबर, 2020 तक दाखिला रद्द करने वाले विद्यार्थियों को डिपॉजिट फीस वापस मिल जानी चाहिए। इस अवधि के बाद 31 दिसंबर, 2020 तक दाखिला रद्द करने पर 1,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस वसूली जा सकती है।

दाखिला प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ प्रोविजिनल दाखिला कर सकती हैं और क्वालिफाइंग परीक्षा से संबंधित दस्तावेजों को बाद में जमा किया जा सकता है (31 दिसंबर, 2020 तक)। इसके अतिरिक्त 2020-21 और 2021-22 के शैक्षणिक सत्रों में छह हफ्ते

का पैटर्न अपनाया जा सकता है। इसके अलावा सेशन ब्रेक को कम करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि यूनिवर्सिटीज़ उन विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए दिशानिर्देशों में अपने अनुसार, बदलाव कर सकती हैं।

मेट्रो के संचालन को चरणबद्ध तरीके से बहाल करने के लिए दिशानिर्देश जारी

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के दौरान मेट्रो रेल के संचालन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (सोप) जारी किए हैं।[29] 7 सितंबर, 2020 को चरणबद्ध तरीके से मेट्रो रेल के संचालन के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है।[30] आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 के अंतर्गत लॉकडाउन के बाद मार्च में मेट्रो रेल का संचालन रोका गया था।[31] सोप की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **चरणबद्ध बहाली**: एक लाइन से अधिक वाली मेट्रो को अलग-अलग लाइनों को धीरे-धीरे शुरू करना चाहिए ताकि 12 सितंबर, 2020 तक सभी कॉरिडोर में यात्रा शुरू हो सके। अधिक भीड़ से बचने के लिए ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट किया जाना चाहिए।
- **प्रवेश और निकासी**: कंटेनमेंट जोन्स के निकासी द्वार और स्टेशन बंद रहेंगे। सभी यात्रियों और कर्मचारियों को फेस मास्क पहनने होंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सिर्फ लक्षण रहित व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी और आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **स्टेशन के भीतर**: सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए स्टेशन और ट्रेनों के भीतर उपयुक्त चिन्ह लगाए जाएंगे। हर स्टेशन के प्रवेश पर सैनिटाइजर लगाए जाएंगे और नियमित अंतराल पर मानव संपर्क वाली सभी जगहों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एयर कंडीनशनिंग सिस्टम में ताजा हवा के इनटेक को बढ़ाया जाएगा।
- **भुगतान**: स्मार्ट कार्ड के इस्तेमाल और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा दिया जाएगा। टोकन और पेपर स्लिप्स को सैनिटाइजेशन के बाद इस्तेमाल किया जाएगा।
- **जागरूकता**: यात्रियों और कर्मचारियों के लिए सूचना, शिक्षा और संवाद अभियान चलाए जाएंगे।
- **प्रशासन**: मेट्रो रेल कॉरपोरेशंस स्टेशन के भीतर भीड़ को रेगुलेट करने के लिए राज्य पुलिस और स्थायी प्रशासन से संपर्क करेंगे।

इसके आधार पर दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरू, जयपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुजरात और लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशंस ने भी अपने सोप्स बनाए हैं।[29] गुजरात और कोलकाता को छोड़कर सभी स्थानों पर मेट्रो का संचालन बहाल हो चुका है।[32,33,34,35,36] महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि अक्टूबर, 2020 से पहले मेट्रो का संचालन बहाल नहीं किया जाएगा।[29]

भारतीय रेलवे ने विशेष रेलों की घोषणा की

Saket Surya (saket@prsindia.org)

रेलवे मंत्रालय ने अतिरिक्त विशेष रेलों को संचालित करने की घोषणा की है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) 12 सितंबर से 40 जोड़ा विशेष रेल, और (ii) 21 सितंबर से 20 जोड़ा विशेष रेल।[37,38] ये पूरी तरह से रिजर्व रेलें होंगी। ये 12 मई से चलने वाली 30 विशेष राजधानी रेलों और 1 जून से चलने वाली 200 विशेष मेल एक्सप्रेस रेलों के अतिरिक्त होंगी।[37] बाकी सभी नियमित यात्री रेल सेवा रद्द ही रहेंगी।

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए एंट्री एयरपोर्ट्स पर आरटी-पीसीआर टेस्ट के दिशानिर्देश जारी

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों के लिए हवाई अड्डों पर रियल टाइम पॉलिमेरेस चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) टेस्ट करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।[39] यह सुविधा पायलट आधार पर प्रदान की जाएगी। वर्तमान में यात्रियों से अपेक्षा की जाती है कि विदेश से अपनी यात्रा शुरू करने के 96 घंटे पहले वे यह टेस्ट कराएं।[40] नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट वाले यात्रियों को संस्थागत क्वारंटाइन से छूट मिल सकती है।[40]

दिशानिर्देशों के अनुसार, एयरपोर्ट ऑपरेटर आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्शन-कम-वेटिंग लाउंज बनाएंगे। हवाईअड्डों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी।[39] सैंपल कलेक्शन और टेस्ट प्रोटोकॉल के आधार पर किए जाएंगे। टेस्ट की रिपोर्ट 1.5 से सात घंटे के बीच उपलब्ध होगी। इस दौरान टेस्ट रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों के पासपोर्ट राज्य अथॉरिटी के अधिकृत प्रतिनिधि के पास रखे रहेंगे। हवाईअड्डों को यात्रियों को लाउंज में प्रतीक्षा करने का विकल्प देना होगा, या वे टेस्ट रिपोर्ट आने तक निर्धारित होटलों में खुद को आइसोलेट कर सकते हैं।[39]

नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट वाले यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट में बोर्ड करने की अनुमति होगी। उनके हाथ पर आरटी-पीसीआर नेगेटिव स्टांप किया जाएगा और राज्य क्वारंटाइन की तारीख लिखी होगी।

घरेलू उड़ानों की यात्री क्षमता 60% की गई

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों की यात्री क्षमता को 2 सितंबर, 2020 से 45% से बढ़ाकर 60% करने से संबंधित एक आदेश जारी किया है।[41] घरेलू यात्री उड़ानों का संचालन आंशिक रूप से मई, 2020 से शुरू हो चुका है।[42]

लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन सिलिंडर की कीमतों की सीमा तय की गई

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने छह महीने के लिए घरेलू स्तर पर बनने वाले लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन सिलिंडर की कीमत तय कर दी है, ताकि देश में उसकी उपलब्धता बनी रहे।[43] इससे पूर्व लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कीमत तय नहीं थी। एनपीपीए के निर्देशों में उसकी कीमत 15 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर पर निश्चित कर दी गई है। मेडिकल ऑक्सीजन सिलिंडर की कीमत 17 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर की बजाय 26 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर (जीएसटी के अतिरिक्त) कर दी गई है, जोकि राज्य स्तर पर परिवहन की लागत के अधीन होगा। राज्य सरकारों से ऑक्सीजन की खरीद के लिए कॉन्ट्रैक्ट की मौजूदा दर लागू रहेगी।[43]

समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

2020-21 की पहली तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी के 3.9% पर

2019-20 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) की तुलना में 2020-21 में इसी अवधि में भारत का चालू खाता घाटा 15 बिलियन USD (जीडीपी का 2.1%) से बढ़कर 19.8 बिलियन USD (जीडीपी का 3.9%) हो गया।[44] ऐसा वर्ष दर वर्ष में निर्यात के मुकाबले आयात में जबरदस्त गिरावट के कारण हुआ है।

पूंजी खाते में ऐसा लेनदेन शामिल होता है जोकि भारत में एंटिटीज़ की एसेट/देनदारी की स्थिति में बदलाव करता है। पूंजी खाते में शुद्ध प्रवाह (पूंजी के जाने के मुकाबले आना) 29 बिलियन USD (2019-20 की पहली तिमाही) से गिरकर 0.5 बिलियन USD हो गया। इसका मुख्य कारण

यह था कि 2019-20 की पहली तिमाही में 18.8 बिलियन USD के विदेशी निवेश का शुद्ध प्रवाह 2020-21 की पहली तिमाही में गिरकर 0.3 बिलियन USD हो गया था।

तालिका 2: 2020-21 की पहली तिमाही, भुगतान संतुलन (बिलियन USD)

	ति 1 2019-20	ति 4 2019-20	ति 1 2020-21
मौजूदा खाता	-15.0	0.6	19.8
पूंजी खाता	28.6	17.4	0.5
भूल चूक- लेनी देनी	0.4	0.9	-0.5
कोष में परिवर्तन	14.0	18.8	19.8

Sources: Reserve Bank of India; PRS.

वित्त

संसद में 2020-21 के लिए पहली अनुपूरक अनुदान मांग पारित

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

संसद ने 2020-21 के लिए पहली अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित किया।[45] पहली अनुपूरक मांगों में 1,66,984 करोड़ रुपए के वृद्धिशील नकद व्यय का प्रस्ताव है जोकि 2020-21 के लिए मंजूर 30,42,230 करोड़ रुपए की राशि में 5.5% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। इस अतिरिक्त राशि को जिन विभिन्न क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राजस्व घाटा अनुदान**: राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान देने के लिए 44,340 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के तौर पर 74,450 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का सुझाव दिया था जिसमें से 30,000 करोड़ रुपए 2020-21 के बजट में आबंटित किए गए थे।
- **ग्रामीण रोजगार**: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। इससे योजना के आबंटन में 65% की बढ़ोतरी होती है जोकि 1,01,500 करोड़ रुपए है।
- **महिला जन धन खाते:** महिला जन धन खातों में तीन महीनों तक हर महीने 500 रुपए हस्तांतरित करने के लिए 30,957 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत घोषित राहत उपायों का एक हिस्सा है।
- **स्वास्थ्य**: कोविड-19 की रोकथाम हेतु व्यय के लिए 14,232 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। इसे आपूर्तियां, सामग्रियां, मशीन और उपकरणों की खरीद के लिए तथा विभिन्न अस्पतालों को अनुदान देने के लिए खर्च किया जाएगा।
- **खाद्य सबसिडी**: विकेंद्रित खरीद योजना (जिसमें राज्य भारतीय खाद्य निगम की ओर से खाद्यान्न खरीदते हैं) के अंतर्गत राज्यों को खाद्य सबसिडी देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है।

1,66,984 करोड़ रुपए के वृद्धिशील नकद व्यय के अतिरिक्त संसद ने पहली अनुपूरक अनुदान मांगों के अंतर्गत 68,869 करोड़ रुपए के सकल व्यय को भी मंजूरी दी है। इस सकल व्यय के लिए समेकित कोष से किसी अतिरिक्त नकद व्यय की जरूरत नहीं है और इसे बचत या राजस्व में वृद्धि और वसूलियों से पूरा किया जाएगा। इन सकल व्यय मदों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपए, और (ii) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तीन महीने के लिए गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलिंडर देने के लिए 13,000 करोड़ रुपए।

क्वालिफाइड फाइनांशियल कॉन्ट्रैक्ट्स की द्विपक्षीय नेटिंग बिल, 2020 संसद में पारित

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

क्वालिफाइड फाइनांशियल कॉन्ट्रैक्ट्स की द्विपक्षीय नेटिंग बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[46] यह बिल उन क्वालिफाइड फाइनांशियल कॉन्ट्रैक्ट्स की द्विपक्षीय नेटिंग (डेरेवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स) और क्लोज-आउट नेटिंग प्रबंधों के लिए कानूनी संरचना प्रदान करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **द्विपक्षीय नेटिंग**: दो पक्षों के बीच सौदे से उत्पन्न दावों की भरपाई को नेटिंग कहा जाता है जिसमें एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देय या प्राप्य राशि का निर्धारण किया जाता है।
- **क्वालिफाइड फाइनांशियल कॉन्ट्रैक्ट्स (क्यूएफसी)**: क्यूएफसी ऐसा कोई भी द्विपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट है जिसे संबंधित अथॉरिटी ने क्यूएफसी के तौर पर अधिसूचित किया है। यह अथॉरिटी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडा), पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) या इंटरनेशनल फाइनांशियल सर्विसेज़ अथॉरिटी (आईएफएससीए) हो सकती है।
- **एप्लिकेबिलिटी**: बिल के प्रावधान दो क्वालिफाइड मार्केट भागीदारों के बीच क्यूएफसी पर लागू होंगे जिसमें से कम से कम एक पक्ष निर्दिष्ट अथॉरिटी (आरबीआई, सेबी, इरडा, पीएफआरडीए या आईएफएससीए) द्वारा रेगुलेटेड है।
- **नेटिंग का लागू होना (एनफोर्सेबिलिटी)**: बिल में प्रावधान है कि क्यूएफसी की नेटिंग उस स्थिति में लागू की जाएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट में नेटिंग एग्रीमेंट हो। नेटिंग एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें दो या उससे अधिक क्यूएफसीज़ से संबंधित राशि की नेटिंग का प्रावधान होता है। नेटिंग एग्रीमेंट में कोलेट्रेल अरेंजमेंट भी शामिल हो सकता है। कोलेट्रल अरेंजमेंट एक किस्म की सुरक्षा होती है जोकि नेटिंग एग्रीमेंट में एक या उससे अधिक क्यूएफसी को दी जाती है। इसमें एसेट्स का वचन देना, या कोलेट्रल या थर्ड पार्टी गारंटर को टाइटल ट्रांसफर करने से संबंधित समझौता शामिल हो सकता है।
- **क्लोज-आउट नेटिंग की व्यवस्था**: क्लोज-आउट नेटिंग का अर्थ है, संबंधित क्यूएफसी के सभी दायित्वों का खत्म होना। यह नेटिंग से क्यूएफसी से उत्पन्न मौजूदा और भविष्य के दायित्वों को लिक्विडेट कर देता है। इस प्रक्रिया को डीफॉल्ट या समाप्ति की घटना की स्थिति में शुरू किया जा सकता है (जैसा कि नेटिंग एग्रीमेंट में निर्दिष्ट हो, जोकि एक या दोनों पक्षों को एग्रीमेंट के अंतर्गत लेनदेन को समाप्त करने का अधिकार देती हो)। क्लोज-आउट नेटिंग के अंतर्गत शुद्ध राशि निम्नलिखित के जरिए निर्धारित की जाएगी: (i) पक्षों द्वारा किए गए नेटिंग एग्रीमेंट के अनुसार, अगर वह मौजूद है, या (ii) पक्षों के बीच एग्रीमेंट के जरिए, या (iii) मध्यस्थता के जरिए।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

बैंकिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2020 संसद में पारित

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

बैंकिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[47] बिल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 में संशोधन करता है। यह एक्ट बैंकों की लाइसेंसिंग, प्रबंधन और परिचालन से संबंधित विभिन्न पहलुओं को रेगुलेट करता है। बिल 26 जून, 2020 को जारी अध्यादेश का स्थान लेता है।[48] बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मोराटोरियम लगाए बिना पुनर्गठन या एकीकरण**: एक्ट के अंतर्गत आरबीआई बैंक को मोराटोरियम में रखकर बैंक के उचित प्रबंधन के लिए, या जमाकर्ताओं, आम लोगों

या बैंकिंग प्रणाली के हित के लिए बैंक के पुनर्गठन या एकीकरण के लिए योजना बना सकता है। मोराटोरियम में रखे गए बैंक पर कुछ प्रतिबंध लागू रहते हैं, जैसे वह कोई भुगतान नहीं कर सकता या अपनी देनदारियों को नहीं चुका सकता। बिल आरबीआई को इस बात की अनुमति देता है कि वह मोरटोरियम के बिना भी पुनर्गठन या एकीकरण की योजना शुरू कर सकता है।

- **कोऑपरेटिव बैंक**: बिल कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के रेगुलेटरी दायरे में लाता है और उन पर वैसे ही रेगुलेशन लगाता है जैसे कमर्शियल बैंकों पर लगते हैं। यह चेयरपर्सन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्वालिफिकेशन की शर्तें रखता है, आरबीआई को उन्हें हटाने और राज्य सरकार की सलाह से बैंक के बोर्ड को सुपरसीड करने की शक्ति देता है। बिल कोऑपरेटिव बैंकों को अपने सदस्यों अथवा अपने संचालन क्षेत्र में निवास करने वाले अन्य व्यक्तियों को इक्विटी, प्रिफरेंस या स्पेशल शेयर तथा अनसिक्योर्ड डेट जारी करने की अनुमति देता है जोकि आरबीआई की पूर्व मंजूरी के अधीन होगा।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें। बिल पर पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल लोकसभा में पेश किया गया

Anurag Vaishnav (anurag@prsindia.org)

लोकसभा में फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) बिल, 2020 को पेश किया गया।[49] यह बिल फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, 2011 में संशोधन करता है और फैक्टरिंग बिजनेस करने वाली एंटिटीज़ के दायरे को बढ़ाता है। फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, 2011 के अंतर्गत फैक्टरिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक एंटिटी (जिसे फैक्टर कहा जाता है) दूसरी एंटिटी (जिसे एसाइनर कहा जाता है) के रिसिवेबल्स को एक राशि के बदले हासिल करती है। रिसिवेबल्स वह कुल राशि होती है जोकि किसी वस्तु, सेवा या सुविधा के उपयोग के लिए ग्राहकों (जिन्हें ऋणी कहा जाता है) पर बकाया होती है या उनके द्वारा जिसका भुगतान बाकी होता है। फैक्टर बैंक, एक रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनांशियल कंपनी या कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर कंपनी हो सकती है। बिल के मुख्य प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **फैक्टर्स का रजिस्ट्रेशन**: एक्ट के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर किए बिना कोई कंपनी फैक्टरिंग बिजनेस नहीं कर सकती। अगर किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) को फैक्टरिंग बिजनेस करना है तो (i) फैक्टरिंग बिजनेस में उसके वित्तीय एसेट्स और (ii) फैक्टरिंग बिजनेस से उसकी आय, दोनों को उसके ग्रॉस एसेट्स/शुद्ध आय के 50% से अधिक या आरबीआई द्वारा अधिसूचित सीमा से अधिक होना चाहिए। बिल में एनबीएफसी के लिए फैक्टरिंग बिजनेस की इस सीमा को हटा दिया गया है।
- **लेनदेन का रजिस्ट्रेशन**: एक्ट के अंतर्गत फैक्टर्स को अपने पक्ष में रिसिवेबल्स के एसाइनमेंट के प्रत्येक विवरण को रजिस्टर करना होगा। इन विवरणों को 30 दिनों की अवधि के दौरान केंद्रीय रजिस्ट्री में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए जोकि सिक्योरिटाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनांशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (सरफेसी) एक्ट, 2002 के अंतर्गत गठित है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो कंपनी और अनुपालन न करने वाले प्रत्येक अधिकारी को हर दिन पांच हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जब तक डीफॉल्ट जारी रहता है। बिल 30 दिनों की इस अवधि को हटाता है। वह कहता है कि समय अवधि, रजिस्ट्रेशन के तरीके और देर से रजिस्ट्रेशन के भुगतान शुल्क को रेगुलेशन द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त बिल में कहा गया है कि

जहां ट्रेड रिसिवेबल्स को ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) के जरिए वित्त पोषित किया जाता है, वहां फैक्टर की ओर से लेनदेन के विवरणों को संबंधित टीआरईडीएस द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्री में फाइल किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि टीआरईडीएस एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जोकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उपक्रमों के ट्रेड रिसिवेबल्स के वित्त पोषण को सुगम बनाता है।

बिल को वित्त संबंधी स्टैंडिंग कमिटी को भेजा गया है और कमिटी दिसंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।[50] बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

स्टैंडिंग कमिटी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के वित्त पोषण पर रिपोर्ट सौंपी

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

वित्त संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: जयंत सिन्हा) ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के वित्त पोषण पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[51] कमिटी ने सुझाव दिया कि स्टार्टअप्स में निवेश अवसरों को व्यापक बनाने और घरेलू निवेशकों की भागीदारी में सुधार के लिए टैक्सेशन और दूसरे रेगुलेशंस में बदलाव किए जाएं। मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को समाप्त करना:** कमिटी ने सुझाव दिया कि कलेक्टिव इनवेस्टमेंट वेहिकल्स (सीआईवी) के जरिए बनाए जाने वाले स्टार्टअप्स में निवेश पर दो वर्ष के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को माफ कर दिया जाना चाहिए। दो वर्ष के बाद सीआईवी पर सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) लगाया जा सकता है (लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के स्थान पर) ताकि सरकार के लिए राजस्व तटस्थता (रेवेन्यू न्यूट्रैलिटी) सुनिश्चित हो। एसटीटी सिक्योरिटीज़ की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला टैक्स है और वर्तमान में लिस्टेड सिक्योरिटीज़ पर लगाया जाता है। सीआईवी ऐसी एंटिटीज़ होती हैं (जैसे एंजल फंड्स और एआईएफज़) जिनके जरिए लोग निवेश के लिए अपने फंड्स को पूल करते हैं।
- **एसेट मैनेजमेंट सेवाएं जीएसटी के अधीन नहीं:** भारत में निगमित एआईएफज़ और भारत के बाहर बने गैर एआईएफज़ के जरिए स्टार्टअप्स में विदेशी निवेश किया जा सकता है। एआईएफ और गैर एआईएफ, दोनों में फंड मैनेजर रखे जाते हैं जोकि एसेट मैनेजमेंट सेवाएं देते हैं। गैर एआईएफ को दी जाने वाली मैनेजमेंट सेवाओं को निर्यात माना जाता है और उनसे जीएसटी नहीं लिया जाता। जबकि एआईएफ से जीएसटी लिया जाता है। कमिटी ने कहा कि इससे निवेशक ऑफशोर फंड्स लेना पसंद करते हैं जिससे भारत में एसेट मैनेजमेंट उद्योग के विकास पर असर होता है। कमिटी ने विदेशी निवेशकों की मैनेजमेंट सेवाओं में समानता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। भले ही उन्हें ऑनशोर (एआईएफ) पूल किया गया हो या ऑफशोर (गैर एआईएफ), उन्हें निर्यात माना जाना चाहिए जिससे वे जीएसटी छूट का दावा कर सकें।
- **घरेलू संस्थागत फंड्स को जुटाना:** कमिटी ने कहा कि पेंशन फंड्स, प्रॉविडेंट फंड्स, बैंक और बीमा कंपनियों के पास उपलब्ध घरेलू पूंजी को वैकल्पिक एसेट क्लासेज़ (जैसे एआईएफ, निजी इक्विटी, वेंचर कैपिटल फंड्स) में निवेश के लिए चैनलाइज किया जाए। कमिटी ने सुझाव दिया कि (i) पेंशन फंड्स को अनलिस्टेड एआईएफ में निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए और एआईएफ कॉरपस के 100 करोड़ रुपए के न्यूनतम आकार की शर्त को हटा दिया जाना चाहिए, (ii) बड़े बैंकों को फंड ऑफ फंड्स को फ्लोट करने की अनुमति दी जानी चाहिए और कैटेगरी III एआईएफ में निवेश की अनुमति मिलनी चाहिए (एआईएफ जो जटिल ट्रेडिंग रणनीतियां अपनाते हैं, जैसे हेज फंड्स),

और (iii) बीमा कंपनियों को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा फ्लोट किए गए फंड टू फंड्स में और वीसी/पीई फंड में सीधे निवेश की अनुमति होनी चाहिए तथा इसके लिए हायर एक्सपोजर लिमिट दी जानी चाहिए। बीमा कंपनियों को एआईएफ में अपने निवेश फंड्स का 3% से 5% के बीच निवेश की अनुमति है।[52,53]

रिपोर्ट पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

पेंडामिक रिस्क पूल की स्थापना पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट जारी

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

भारतीय पेंडामिक रिस्क पूल की स्थापना पर वर्किंग ग्रुप (चेयर: सुरेश माथुर) ने अपनी रिपोर्ट इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (इरडाई) को सौंप दी है।[54] इरडाई ने पेंडामिक रिस्क पूल की जरूरत तथा उसकी संरचना पर सुझाव देने के लिए जुलाई 2020 में वर्किंग ग्रुप का गठन किया था।[55] रिस्क पूल बीमा कंपनियों के लिए एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट होता है जिसमें भागीदार संगठन अपने संसाधनों को पूल करते हैं और बीमा कंपनियों पर दावों को पूल से चुकाया जाता है। ग्रुप के मुख्य सुझाव इस प्रकार हैं:

- **पेंडामिक रिस्क पूल की जरूरत**: ग्रुप ने सुझाव दिया कि निम्न आय वर्गों और एमएसएमईज़ को महामारी से हुए नुकसान को दूर करने के लिए भारतीय पेंडामिक रिस्क पूल बनाया जाना चाहिए। ग्रुप ने कहा कि महामारी ने जैसा व्यवस्थागत जोखिम पैदा किया है, उसे निजी कंपनियां या सरकार अकेले नहीं झेल सकतीं। रिस्क पूल से बीमा कंपनियों को रिस्क शेयरिंग की व्यवस्था उपलब्ध होगी और वे निम्न लागत वाले प्रॉडक्ट्स पेश कर पाएंगी।
- **प्रोडक्ट का कवरेज**: पेंडामिक पूल पहले चरण में एमएसएमई के कर्मचारियों के वेतन को कवर कर सकता है। इसमें तीन महीने तक, या महामारी के कारण लॉकडाउन के अंत तक, (इनमें से जो भी पहले हो) अधिकतम 10 कर्मचारियों (जिसे 15 कर्मचारी तक किया जा सकता है) के लिए 6,500 रुपए प्रति महीने (जिसे 7,000 रुपए तक किया जा सकता है) के भुगतान को कवर किया जाएगा। बाद में इसमें स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा भी शामिल किया जा सकता है।
- **सरकार की भागीदारी**: शुरुआती वर्षों में महामारी से होने वाला नुकसान पूल के आकार से बड़े होने की उम्मीद है। ग्रुप ने अनुमान लगाया है कि पूल को सरकार की 75,000 करोड़ रुपए से लेकर 1.23 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त गारंटी की जरूरत होगी। पूल 20 से 25 वर्ष के बाद स्वावलंबी हो जाएगा।
- **पूल का प्रबंधन**: जनरल इंश्योरेंस कंपनी (जीआईसी) रिस्क पूल का प्रबंधन करेगा। यह टेरिरिज्म रिस्क पूल और न्यूक्लियर रिस्क पूल का प्रबंधन भी करता है। ग्रुप ने सुझाव दिया कि पूल में जनरल इंश्योरेर्स, रीइंश्योरेंस कंपनियां और सभी क्षेत्रों के इंश्योरर्स की भागीदारी अनिवार्य हो (जैसे स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा)।

श्रम

व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियां संहिता संसद में पारित

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

व्यवसागत सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[56] संहिता स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कार्य स्थितियों को रेगुलेट करने वाले 13 मौजूदा एक्ट्स को एकीकृत करती है। इनमें कारखाना एक्ट, 1948, खदान एक्ट, 1952 और कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक (रेगुलेशन और उन्मूलन) एक्ट, 1970

शामिल हैं। संहिता की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कवरेज**: संहिता न्यूनतम 10 श्रमिकों वाले इस्टैबलिशमेंट्स पर लागू होगी। यह सभी खदानों एवं डॉक्स पर और उन इस्टैबलिशमेंट्स पर लागू होगी जहां जोखिमपरक या जानलेवा किस्म के कार्य किए जाते हैं (केंद्र सरकार इन्हें अधिसूचित कर सकती है)।
- **छूट**: संबंधित सरकार पब्लिक इमरजेंसी, आपदा या महामारी की स्थिति में किसी कार्यस्थल या गतिविधि को संहिता के प्रावधानों से एक वर्ष तक के लिए छूट दे सकती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार आर्थिक गतिविधि और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किसी नए कारखाने को संहिता के प्रावधानों से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकती है।
- **रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस**: संहिता के दायरे में आने वाले इस्टैबलिशमेंट्स को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्टरिंग ऑफिसर्स के साथ 60 दिनों के भीतर (संहिता के लागू होने के बाद) रजिस्टर करना होगा। कारखानों को संचालित करने के लिए लाइसेंस हासिल करना होगा। संहिता श्रमिकों, जैसे बीड़ी और सिगार मजदूरों को काम पर रखने वालों से लाइसेंस हासिल करने की अपेक्षा करती है।
- **नियोक्ताओं के कर्तव्य**: संहिता के अंतर्गत नियोक्ताओं के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ऐसे कार्यस्थल प्रदान करना, जो जोखिमों से मुक्त हों, और (ii) अगर कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या उसे गंभीर शारीरिक चोट लगती है तो संबंधित अथॉरिटीज़ को सूचना देना।
- **काम के घंटे:** किसी इस्टैबलिशमेंट में किसी श्रमिक से एक दिन में आठ घंटे से ज्यादा काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और न ही उसे इसकी अनुमति होगी। ओवरटाइम काम के लिए श्रमिकों को दैनिक मजदूरी की दर से दुगुनी मजदूरी दी जाएगी। ओवरटाइम के लिए श्रमिकों से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
- **अवकाश:** कोई कर्मचारी हफ्ते में छह दिन से ज्यादा काम नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त उसे हर वर्ष प्रत्येक 20 दिन कार्य करने पर एक दिन का अवकाश दिया जाना चाहिए।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें। तीनों श्रम संहिताओं पर पीआरएस के विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 संसद में पारित

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[57] यह संहिता तीन श्रम कानूनों (i) औद्योगिक विवाद एक्ट, 1947, (ii) ट्रेड यूनियन एक्ट, 1926 और (iii) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) एक्ट, 1946 का स्थान लेती है। संहिता की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **ट्रेड यूनियन्स:** कम से कम 10% सदस्यों वाली या 100 श्रमिकों वाली (इनमें से जो भी कम हो) ट्रेड यूनियन्स रजिस्टर की जाएंगी।
- **नेगोशिएटिंग यूनियन्स:** अगर किसी औद्योगिक इस्टैबलिशमेंट में सिर्फ एक ट्रेड यूनियन है तो नियोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस ट्रेड यूनियन को श्रमिकों की एकमात्र नेगोशिएटिंग यूनियन के रूप में मान्यता देगा। अगर कई ट्रेड यूनियन्स हैं तो जिस ट्रेड यूनियन को कम से कम 51% श्रमिकों का समर्थन हासिल होगा, उसी ट्रेड यूनियन को नेगोशिएटिंग यूनियन के रूप में मान्यता दी जाएगी। अगर किसी ट्रेड यूनियन को 51% श्रमिकों का समर्थन हासिल नहीं है तो एक नेगोशिएटिंग यूनियन बनाई जाएगी जिसमें ऐसी यूनियन्स के प्रतिनिधि शामिल

होंगे जिनमें कम से कम 20% श्रमिक सदस्य के रूप में शामिल हों।

- **स्थायी आदेश:** कम से कम 300 श्रमिकों वाले सभी औद्योगिक इस्टैबलिशमेंट्स को कुछ मामलों पर स्थायी आदेश तैयार करने चाहिए। ये मामले निम्नलिखित से संबंधित हैं: (i) श्रमिकों का वर्गीकरण, (ii) काम के घंटों, छुट्टी, वेतन के दिन और वेतन की दरों के बारे में श्रमिकों को जानकारी देने का तरीका, (iii) रोजगार की समाप्ति, (iv) दुर्व्यवहार के लिए सस्पेंशन, और (v) श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली।
- **कामबंदी और छंटनी**: गैर मौसमी औद्योगिक इस्टैबलिशमेंट्स जैसे खदानों, कारखानों और बागान जहां 50 से लेकर 300 श्रमिक कार्य करते हैं, के नियोक्ताओं को (i) कामबंदी के शिकार कर्मचारियों को मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 50% चुकाना होगा, और (ii) छंटनी के शिकार श्रमिकों को एक महीने का नोटिस या नोटिस की अवधि का वेतन देना होगा, साथ ही सेवा काल के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का मुआवजा देना होगा।
- न्यूनतम 300 श्रमिकों वाले गैर मौसमी औद्योगिक इस्टैबलिशमेंट्स को कामबंदी, छंटनी या बंद होने के लिए केंद्र या राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी, और (i) कामबंदी के शिकार श्रमिकों को मूल वेतन और भत्ते का 50% भुगतान करना होगा, और (ii) छंटनी की स्थिति में नियोक्ता को तीन महीने का नोटिस देना होगा या नोटिस की अवधि का वेतन देना होगा, साथ ही सेवा काल के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का मुआवजा देना होगा।
- **संहिता से छूट:** 2020 के बिल में प्रावधान है कि केंद्र या राज्य सरकार जनहित में किसी नए इस्टैबलिशमेंट या नए इस्टैबलिशमेट्स की एक श्रेणी को संहिता के सभी या किसी एक प्रावधान से छूट दे सकती है।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें। तीनों श्रम संहिताओं पर पीआरएस के विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 संसद में पारित

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[58] यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नौ कानूनों, जैसे कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड एक्ट, 1952 और मातृत्व लाभ एक्ट, 1961 का स्थान लेती है। संहिता की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सामाजिक सुरक्षा योजनाएं**: संहिता के अंतर्गत केंद्र सरकार श्रमिकों के लाभ के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिसूचित कर सकती है। ये हैं: (i) कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड (ईपीएफ) योजना, कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (ईडीएलआई) योजना, और (ii) मातृत्व लाभ।
- इसके अतिरिक्त केंद्र या राज्य सरकार गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित श्रमिकों को विभिन्न लाभ, जैसे जीवन और विकलांगता कवर के लिए विशिष्ट योजनाओं को अधिसूचित कर सकती हैं। गिग वर्कर्स ऐसे श्रमिक होते हैं जोकि परंपरागत नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से बाहर होते हैं (जैसे फ्रीलांसर्स)। प्लेटफॉर्म वर्कर्स ऐसे श्रमिक होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूसरे संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंचते हैं और उन्हें विशिष्ट सेवाएं प्रदान करके धन अर्जित करते हैं। असंगठित श्रमिकों में गृह आधारित (घर पर रहकर काम करने वाले) या स्वरोजगार प्राप्त श्रमिक शामिल होते हैं।
- **कवरेज और रजिस्ट्रेशन**: संहिता योजनाओं की एप्लिकेबिलिटी के लिए अलग-अलग सीमाएं निर्दिष्ट करती है। जैसे ईपीएफ योजना 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले इस्टैबलिशमेंट्स पर लागू होगी। सभी

पात्र इस्टैबलिशमेंट्स से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संहिता के अंतर्गत रजिस्टर होंगे, जब तक कि वे दूसरे किसी श्रम कानून के अंतर्गत रजिस्टर न हों।

- **अंशदान**: ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई और ईएसआई योजनाओं को नियोक्ता और कर्मचारियों के अंशदान से वित्त पोषित किया जाएगा। उदाहरण के लिए ईपीएफ योजना के मामले में नियोक्ता और कर्मचारी 10% वेतन का एक बराबर अंशदान देंगे या सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी ही किसी दूसरी दर पर अंशदान देंगे।
- **सामाजिक सुरक्षा संगठन**: संहिता सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रबंधित करने के लिए अनेक निकायों को स्थापित कर सकती है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजनाओं को प्रबंधित करने के लिए केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड, (ii) ईएसआई योजना को प्रबंधित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, (iii) असंगठित श्रमिकों से संबंधित योजनाओं को प्रबंधित करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, जिनकी अध्यक्षता केंद्रीय और राज्य स्तरीय श्रम और रोजगार मंत्रियों द्वारा की जाएगी और वह असंगठित श्रमिकों के लिए योजनाओं का प्रबंधन करेगा।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें। तीनों श्रम संहिताओं पर पीआरएस के विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

कृषि

किसान उपज व्यापार और वाणिज्य बिल, 2020 संसद में पारित

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[59] बिल जून 2020 में जारी अध्यादेश का स्थान लेता है।[60] यह राज्यों के कृषि उत्पाद मार्केट कानूनों (राज्य एपीएमसी एक्ट्स) के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर किसानों की उपज के निर्बाध व्यापार का प्रावधान करता है। इस अध्यादेश के प्रावधान राज्यों के एपीएमसी एक्ट्स के प्रावधानों के होते हुए भी लागू रहेंगे।

अनुसूचित किसान उपज के व्यापार के लिए संस्था को किसान, किसान उत्पादक संगठन, कृषि सहकारी संघ या एक व्यापारी होना चाहिए जिनके पास पैन कार्ड हो। बिल राज्य सरकारों और एपीएमसी को ऐसे व्यापार पर मार्केट फीस, सेस या कोई दूसरा शुल्क लेने से प्रतिबंधित करता है।

बिल पर अधिक विवरण के लिए कृपया देखें। तीनों कृषि बिल्स पर पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करने वाला बिल संसद में पारित

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[61] यह जून 2020 में जारी अध्यादेश का स्थान लेता है। बिल किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट खेती, यानी बुवाई से पहले खरीदार के साथ हुए समझौते के आधार पर खेती के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इस समझौते के अंतर्गत किसान पूर्व निर्धारित कीमत पर खरीदार को कृषि उपज बेचेगा।

- **अवधि**: समझौते की अवधि एक फसल मौसम या पशु का एक प्रजनन चक्र होगा। अधिकतम अवधि पांच वर्ष होगी। पांच वर्ष के बाद उत्पादन चक्र के लिए, समझौते की अधिकतम अवधि को किसान और स्पॉन्सर आपस में तय करेंगे।

- **मूल्य निर्धारण:** कृषि उत्पाद की खरीद का मूल्य समझौते में दर्ज होगा। मूल्य में बदलाव की स्थिति में समझौते में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: (i) ऐसे उत्पाद के लिए गारंटीशुदा मूल्य, और (ii) गारंटीशुदा मूल्य के अतिरिक्त राशि, जैसे बोनस या प्रीमियम का स्पष्ट संदर्भ। यह संदर्भ मौजूदा मूल्यों या दूसरे निर्धारित मूल्यों से संबंधित हो सकता है।
- **मौजूदा कानूनों से छूट:** कृषि समझौते के अंतर्गत कृषि उत्पाद को उन सभी राज्य एपीएमसी कानूनों और अनिवार्य वस्तु एक्ट, 1955 के प्रावधानों से छूट मिलेगी और उन पर स्टॉक सीमा की कोई बाध्यता लागू नहीं होगी।

बिल पर अधिक विवरण के लिए कृपया देखें। तीनों कृषि बिल्स पर पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

अनिवार्य वस्तु (संशोधन) बिल, 2020 संसद में पारित

Saket Surya (saket@prsindia.org)

अनिवार्य वस्तुएं (संशोधन) बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[62] बिल 5 जून, 2020 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेता है। यह अध्यादेश अनिवार्य वस्तु एक्ट, 1955 में संशोधन करता है।[63] एक्ट केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं के उत्पादन, सप्लाई, वितरण, स्टोरेज और व्यापार को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

बिल प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार केवल असामान्य परिस्थितियों में कुछ खाद्य पदार्थों (जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है, जैसे अनाज, दालों, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेलों की सप्लाई को रेगुलेट कर सकती है। इन परिस्थितियों में युद्ध, अकाल, असामान्य मूल्य वृद्धि, और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा शामिल हैं।

स्टॉक की सीमा निम्नलिखित स्थितियों में लागू की जा सकती है: (i) अगर बागवानी उत्पाद के रीटेल मूल्य में 100% की वृद्धि होती है, या (ii) नष्ट न होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों के रीटेल मूल्य में 50% की वृद्धि होती है। वृद्धि की गणना, पिछले 12 महीने के मूल्य, या पिछले पांच वर्ष के औसत रीटेल मूल्य (इनमें से जो भी कम होगा) के आधार पर की जाएगी। कृषि उत्पाद के प्रोसेसर या वैल्यू चेन के हिस्सेदार व्यक्ति पर स्टॉक की सीमा लागू नहीं होगी, अगर उस व्यक्ति का स्टॉक निम्नलिखित से कम है: (i) प्रोसेसिंग की इंस्टॉल्ड क्षमता की सीमा, या (ii) निर्यातक की स्थिति में निर्यात की मांग।

बिल पर अधिक विवरण के लिए कृपया देखें। तीनों कृषि बिल्स पर पीआरएस विश्लेषण के लिए कृपया देखें।

खरीफ मौसम 2020-21 के लिए फसलों के उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान जारी

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खरीफ मौसम 2020-21 के लिए खाद्यान्न और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए।[64] तालिका 3 में खरीफ 2019-20 के अनुमानों की तुलना खरीफ 2020-21 के पहले अग्रिम अनुमानों से की गई है। यहां कुछ तथ्य प्रस्तुत हैं:

- खरीफ 2019-20 की तुलना में खरीफ 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन में 0.8% गिरावट हुई। यह गिरावट मुख्य रूप से दालों के उत्पादन में 20.6% की गिरावट के कारण हुई।
- मूंगफली के उत्पादन में 14% की वृद्धि और सोयाबीन के उत्पादन में 21.1% की वृद्धि अनुमानित है।
- 2020-21 में कपास के उत्पादन में 4.6% की वृद्धि का अनुमान है और गन्ने का उत्पादन 12.4% बढ़कर 400 मिलियन टन रहने का अनुमान है।

तालिका 2: खरीफ 2020-21 में उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान (मिलियन टन)

फसल	चौथे अग्रिम अनुमान खरीफ 2019-20	पहले अग्रिम अनुमान खरीफ 2020-21	2019-20 की तुलना में परिवर्तन का %
खाद्यान्न (क+ख)	143.4	144.5	0.8%
क. अनाज	135.7	135.2	-0.3%
चावल	102.0	102.4	0.4%
मोटे अनाज	33.7	32.8	-2.5%
ख. दालें	7.7	9.3	20.6%
तूर	3.8	4.0	5.5%
उड़द	1.3	2.2	65.4%
मूंग	1.8	2.1	16.8%
तिलहन	22.3	25.7	15.3%
सोयाबीन	11.2	13.6	21.1%
मूंगफली	8.4	9.5	14.0%
कपास*	35.5	37.1	4.6%
चीनी	355.7	399.8	12.4%

*million bales of 170 kg each.

Sources: Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare; PRS.

कैबिनेट ने 2020-21 में रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों को मंजूरी दी

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

केंद्रीय कैबिनेट ने 2020-21 में रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) को मंजूरी दी।[65] तालिका 4 में 2019-20 की तुलना में 2020-21 में रबी फसलों के एमएसपी में परिवर्तनों को प्रदर्शित किया गया है। गेहूं का एमएसपी 2.6% बढ़कर 1,975 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। अधिकतर रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, चूंकि सरकार का लक्ष्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है।

तालिका 4: रबी फसलों की एमएसपी में परिवर्तन (आंकड़े रुपए प्रति क्विंटल में)

फसल	2019-20	2020-21	परिवर्तन
गेहूं	1,925	1,975	2.6%
जौ	1,525	1,600	4.9%
चना	4,875	5,100	4.6%
मसूर	4,800	5,100	6.2%
सफेद और काली सरसों	4,425	4,650	5.1%
कुसुम	5,215	5,327	2.2%

Sources: Press Information Bureau; PRS.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल, 2020 पेश

Saket Surya (saket@prsindia.org)

लोकसभा में असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल, 2020 को पेश किया गया।[66] यह बिल असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सेवाओं के रेगुलेशन का प्रावधान करने का प्रयास करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी):** बिल के अनुसार, एआरटी में ऐसी सभी तकनीक शामिल है जिनमें मानव शरीर के बाहर स्पर्म या ओसाइट (अपरिपक्व एग सेल) को रखकर किसी महिला की प्रजनन प्रणाली में गैमेट या भ्रूण को प्रत्यारोपित करके गर्भावस्था हासिल की जाती है। एआरटी सेवाओं के उदाहरणों में गैमेट (स्पर्म या ओसाइट) डोनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (लैब में एग को फर्टिलाइज करना), और जेस्टेशनल सेरोगेसी (जब बच्चा सेरोगेट माता से बायोलॉजिकली संबंधित नहीं होता) शामिल हैं।
- **एआरटी क्लिनिक और बैंकों का रेगुलेशन:** बिल के अनुसार, हर एआरटी क्लिनिक और बैंक को नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए। बिल के अंतर्गत नेशनल रजिस्ट्री बनाई जाएगी और वह देश में सभी एआरटी क्लिनिक्स और बैंक्स के विवरणों वाले केंद्रीय डेटाबेस की तरह काम करेगी। राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ की नियुक्तियां करेंगी।
- **एआरटी सेवाओं की शर्तें:** एआरटी प्रक्रिया

को सिर्फ सेवा की मांग करने वाले दोनों पक्षों और डोनर की लिखित सहमति से संचालित किया जाएगा। एआरटी सेवा की मांग करने वाला पक्ष ओसाइट डोनर को बीमा कवरेज देगा (किसी नुकसान या डोनर की मौत के लिए)। क्लिनिक पर इस बात का प्रतिबंध है कि वह किसी को पूर्व निर्धारित लिंग का बच्चा नहीं देगा। बिल में यह अपेक्षित है कि भ्रूण के प्रत्यारोपण से पहले जेनेटिक बीमारी की जांच की जाए।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग बिल, 2019 पारित

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग बिल, 2019 संसद में पारित हो गया।[67] यह बिल भारतीय मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1970 को रद्द करता है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा प्रणालियां शामिल हैं। बिल इन चिकित्सा प्रणालियों की शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क बनाता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (एनसीआईएसएम) के कार्य:** एनसीआईएसएम के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) भारतीय चिकित्सा प्रणाली के मेडिकल संस्थानों और मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने के लिए नीतियां बनाना, (ii) स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जरूरतों का मूल्यांकन करना, और (iii) यह सुनिश्चित करना कि राज्य आर्युविज्ञान परिषदें बिल के रेगुलेशंस का पालन कर रही हैं, अथवा नहीं। बिल के पारित होने के तीन वर्षों के भीतर राज्य सरकारों द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली की राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों की स्थापना की जाएगी।
- **भारतीय चिकित्सा प्रणाली सलाहकार परिषद:** बिल के अंतर्गत केंद्र सरकार भारतीय चिकित्सा प्रणाली सलाहकार परिषद की स्थापना करेगी। इस परिषद के माध्यम से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एनसीआईएसएम के समक्ष अपने विचारों और चिंताओं को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त परिषद एनसीआईएसएम को मेडिकल शिक्षा के न्यूनतम मानदंडों को निर्धारित करने और उन्हें बरकरार रखने के उपाय सुझाएगी।
- **प्रवेश परीक्षाएं:** बिल द्वारा रेगुलेटेड सभी मेडिकल संस्थानों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के प्रत्येक विषय में अंडर ग्रैजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए परीक्षा ली जाएगी, जिसे यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट कहा जाएगा। इसी प्रकार एक समान पोस्ट ग्रैजुएट नेशनल एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। बिल मेडिकल संस्थानों से ग्रैजुएट होने वाले विद्यार्थियों के लिए अंतिम वर्ष में एक समान राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट का प्रस्ताव रखता है जिससे उन्हें प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। बिल भारतीय चिकित्सा प्रणाली के प्रत्येक विषय में उन पोस्ट-ग्रैजुएट विद्यार्थियों के लिए नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रस्ताव भी रखता है जो उस खास विषय में शिक्षण को अपना पेशा बनाना चाहते हैं।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) बिल, 2020 पारित

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया।[68]

बिल इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1970 में संशोधन करता है और इंडिया मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का स्थान लेता है।[69,70] इसमें प्रावधान है कि सेंट्रल काउंसिल 24 अप्रैल, 2020 (अध्यादेश की तारीख से) से अधिकतम एक वर्ष के लिए सुपरसीड होगी। इस अंतरिम अवधि में केंद्र सरकार बोर्ड ऑफ गवर्नर का गठन करेगी जोकि सेंट्रल काउंसिल की शक्तियों का इस्तेमाल करेगा।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग बिल, 2019 पारित

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग बिल, 2019 को संसद में पारित कर दिया गया। यह बिल होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 को रद्द करता है।[71] बिल होम्योपैथी की शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क बनाता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच):** एनसीएच के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मेडिकल संस्थानों और होम्योपैथिक मेडिकल प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने के लिए नीतियां बनाना, (ii) स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जरूरतों का मूल्यांकन करना, (iii) यह सुनिश्चित करना कि राज्य की होम्योपैथी आर्युविज्ञान परिषदें बिल के रेगुलेशंस का पालन कर रही हैं, अथवा नहीं।
- **होम्योपैथी सलाहकार परिषद:** बिल के अंतर्गत केंद्र सरकार होम्योपैथी सलाहकार परिषद की स्थापना करेगी। इस परिषद के माध्यम से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश एनसीएच के समक्ष अपने विचारों और चिंताओं को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त परिषद एनसीएच को मेडिकल शिक्षा के न्यूनतम मानदंडों को निर्धारित करने और उन्हें बरकरार रखने के उपाय सुझाएगी।
- **प्रवेश परीक्षाएं:** बिल द्वारा रेगुलेटेड सभी मेडिकल संस्थानों में भारतीय चिकित्सा प्रणाली के प्रत्येक विषय में अंडर ग्रैजुएट कोर्स में प्रवेश के लिए परीक्षा ली जाएगी, जिसे यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट कहा जाएगा। इसी प्रकार एक समान पोस्ट ग्रैजुएट नेशनल एंट्रेंस टेस्ट भी होगा। बिल मेडिकल संस्थानों से ग्रैजुएट होने वाले विद्यार्थियों के लिए अंतिम वर्ष में एक समान राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट का प्रस्ताव रखता है जिससे उन्हें प्रैक्टिस करने का लाइसेंस मिलेगा। बिल होम्योपैथी में उन पोस्ट-ग्रैजुएट विद्यार्थियों के लिए नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रस्ताव भी रखता है जो उस खास विषय में शिक्षण को अपना पेशा बनाना चाहते हैं।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) बिल, 2020 पारित

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[72] यह अध्यादेश होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 में संशोधन करता है और होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) अध्यादेश, 2020 का स्थान लेता है।[73, 74] एक्ट होम्योपैथिक शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने वाली होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल की स्थापना करता है। बिल एक्ट में संशोधन करता है और सेंट्रल काउंसिल के सुपरसेशन की समय अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करता है।

2018 में संशोधन के जरिए सुपरसेशन के प्रावधान को शामिल किया गया था ताकि सेंट्रल काउंसिल को एक वर्ष के लिए सुपरसीड किया

जा सके।[75] फिर 2019 में एक संशोधन के जरिए इसे एक वर्ष की बजाय दो वर्ष किया गया।[76]

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान बिल, 2020 संसद में पारित

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[77] बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **विलय:** बिल तीन आयुर्वेद संस्थानों का विलय कर एक संस्थान- आयुर्वेद शिक्षा और अनुसंधान संस्थान बनाने का प्रयास करता है। प्रस्तावित संस्थान गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के परिसर में स्थित होगा। बिल इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करता है।
- **संस्थान के कार्य**: संस्थान के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आयुर्वेद की स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा (फार्मेसी सहित) का प्रावधान, (ii) आयुर्वेद में स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम और करिकुलम निर्दिष्ट करना, (iii) आयुर्वेद की विभिन्न शाखाओं में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना, और (iv) आयुर्वेद और फार्मेसी में परीक्षाएं संचालित करना, डिग्री, डिप्लोमा और दूसरे डिस्टिंक्शंस और टाइटिल देना।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशंस आयोग बिल, 2020 संसद में पेश

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशंस आयोग बिल, 2020 को राज्यसभा में पेश किया गया।[78] बिल एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशल्स की शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट और मानकीकृत करने का प्रयास करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **परिभाषा**: बिल के अनुसार, 'एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल' उस एसोसिएट, टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट को कहा जाएगा जोकि किसी बीमारी, रोग, चोट या क्षति के निदान और उपचार में सहयोग देने के लिए प्रशिक्षित हों। इसके अतिरिक्त एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को बिल के अंतर्गत डिप्लोमा या डिग्री हासिल होनी चाहिए। डिप्लोमा या डिग्री की अवधि कम से कम 2,000 घंटे होनी चाहिए (दो से चार वर्षों के दौरान)।
- **एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशंस**: बिल अनुसूची में एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशंस की कुछ मान्यता प्राप्त श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है। इनमें लाइफ साइंस प्रोफेशनल्स, सर्जिकल और एनेस्थीसिया से जुड़े टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, ट्रॉमा और बर्न केयर प्रोफेशनल्स, फिजियोथेरेपिस्ट्स और न्यूट्रीशन साइंस प्रोफेशनल्स शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशंस आयोग**: बिल राष्ट्रीय एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशंस आयोग की स्थापना करता है जोकि नीतियां और मानक बनाने, सभी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स के लिए ऑनलाइन सेंट्रल रजिस्ट्रर बनाने और उसका रखरखाव करने, शिक्षण और प्रशिक्षण के बुनियादी मानदंड बनाने तथा यूनिफॉर्म एंट्रेंस और एग्जिट परीक्षाओं का प्रावधान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- **राज्य परिषदें**: राज्य सरकार को बिल के पारित होने के छह महीने के भीतर राज्य एलाइड और हेल्थकेयर परिषदों का गठन करना होगा। वह प्रोफेशनल आचरण को लागू करने, राज्य स्तरीय रजिस्टरों का रखरखाव करने, संस्थानों का निरीक्षण करने और यूनिफॉर्म एंट्री एवं एग्जिट परीक्षाएं सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगी।

- **अपराध और सजा**: राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित क्वालिफाइड एलाइड और हेल्थकेयर प्रैक्टीशनर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा भुगतनी पड़ेगी।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

स्कूली बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा संबंधी नियम और मानदंड अधिसूचित

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा और मानदंड (स्कूलों बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य एवं संतुलित आहार) रेगुलेशन, 2020 को अधिसूचित कर दिया है।[79] रेगुलेशन में स्कूलों में दिए जाने वाले भोजन की सुरक्षा के मानदंडों का प्रावधान है।

रेगुलेशंस के अनुसार, खुद भोजन बनाने या परोसने वाली स्कूल अथॉरिटीज़ को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अथॉरिटी या राज्य खाद्य अथॉरिटी में फूड बिजनेस ऑपरेटर (एफबीओ) के तौर पर रजिस्टर करना होगा। अगर वह किसी एफबीओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह एफबीओ रजिस्टर्ड और लाइसेंस प्राप्त है। स्कूल अथॉरिटीज़ को यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिक सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट या एडेड शुगर या सोडियम वाले खाद्य उत्पादों को कैंपस में न बेचा जाए। उन्हें स्कूल के मुख्य दरवाजे पर बोर्ड के जरिए इस प्रतिबंध का विज्ञापन करना होगा।

बिहार में नए एम्स की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

कैबिनेट ने बिहार के दरभंगा में नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ (एम्स) की स्थापना को मंजूरी दी है।[80] इसकी लागत लगभग 1,264 करोड़ रुपए होगी। मंजूरी की तारीख से इस निर्माण को पूरा होने में लगभग 48 महीने लगेंगे।

नए एम्स में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी: (i) 100 एमबीबीएस और 6 नर्सिंग सीट, (ii) 15-20 सुपर स्पेशिलिटी विभाग, (iii) 750 बेड्स, और (iv) हर दिन 2,000 ओपीडी मरीजों (जहां मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता), और 1,000 आईपीडी (जहां मरीजों को भर्ती किया जाता है) के लिए जांच सुविधा।[80]

गृह मामले

विदेशी योगदान (रेगुलेशन) संशोधन बिल, 2020 संसद में पारित

Anurag Vaishnav (anurag@prsindia.org)

विदेशी योगदान (रेगुलेशन) संशोधन बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[81] यह बिल विदेशी योगदान (रेगुलेशन) एक्ट, 2010 में संशोधन करता है। एक्ट व्यक्तियों, संगठनों और कंपनियों के विदेशी योगदान की मंजूरी और उपयोग को रेगुलेट करता है। विदेशी योगदान किसी विदेशी स्रोत से किसी करंसी, सिक्योरिटी या आर्टिकल (एक निर्दिष्ट मूल्य से अधिक) के दान या ट्रांसफर को कहा जाता है। बिल के मुख्य प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **विदेशी योगदान का ट्रांसफर:** एक्ट के अंतर्गत विदेशी योगदान को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जब तक कि उस व्यक्ति ने भी विदेशी योगदान की मंजूरी के लिए रजिस्ट्रेशन न किया हो (या एक्ट के अंतर्गत विदेशी योगदान हासिल करने की पूर्व अनुमति न ली हो)। बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है और कहता है कि किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी योगदान का ट्रांसफर नहीं

किया जा सकता।

- **आधार का पंजीकरण:** एक्ट कहता है कि कोई व्यक्ति विदेशी योगदान को मंजूर कर सकता है, अगर उसने केंद्र सरकार से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हासिल किया है, या सरकार से विदेशी योगदान हासिल करने की पूर्व अनुमति ली है। बिल कहता है कि पूर्व अनुमति, रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के रीन्यूअल की मांग करने वाले व्यक्ति को आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के तौर पर अपने सभी पदाधिकारियों, निदेशकों या मुख्य अधिकारियों का आधार नंबर देना होगा। विदेशी होने की स्थिति में उन्हें पहचान के तौर पर पासपोर्ट या ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया की कॉपी देनी होगी।
- **एफसीआरए एकाउंट**: एक्ट के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड व्यक्ति उसी अनुसूचित बैंक की किसी एक शाखा में विदेशी योगदान ले सकता है जिसे उसने खुद निर्दिष्ट किया हो। बिल इस प्रावधान में संशोधन करता है और कहता है कि विदेशी योगदान सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की उस शाखा में लिया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी।
- **प्रशासनिक उद्देश्य के लिए विदेशी योगदान के इस्तेमाल में कटौती**: एक्ट के अंतर्गत 50% से अधिक विदेशी योगदान का इस्तेमाल प्रशासनिक खर्चे के लिए नहीं कर सकता। बिल इस सीमा को 20% करता है।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया **देखें।**

नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज़ यूनिवर्सिटी बिल, 2020 संसद में पारित

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज़ यूनिवर्सिटी बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[82] बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **यूनिवर्सिटी की स्थापना:** बिल गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज़ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर (गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज़ यूनिवर्सिटी एक्ट, 2008 के अंतर्गत स्थापित) और लोक नायक जय प्रकाश नारायण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंसेज़, नई दिल्ली को गुजरात स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज़ यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करता है। बिल इस यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करता है। बिल 2008 के एक्ट को रद्द करता है। यूनिवर्सिटी के कैंपस में दोनों यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस, और बाद में अधिसूचित कोई अन्य कैंपस शामिल होंगे।
- **कार्य**: यूनिवर्सिटी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) फॉरेंसिक साइंस, एप्लाइड बिहेवियरल साइंस, कानून और क्रिमिनोलॉजी में प्रशिक्षण और अनुसंधान का प्रावधान करना, (ii) कॉलेज, स्कूल और अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना और उनका संचालन, और (iii) पाठ्यक्रम निर्धारित करना, परीक्षाएं संचालित करना और डिग्री एवं अन्य उपाधियां प्रदान करना।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल, 2020 संसद में पारित

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल, 2020 संसद में पारित कर दिया गया।[83] मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- **यूनिवर्सिटी की स्थापना**: बिल रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, गुजरात (रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी एक्ट, 2009 के अंतर्गत स्थापित) को गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करता है। बिल इस यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करता है। बिल 2009 के एक्ट को रद्द करता है।

- **कार्य**: यूनिवर्सिटी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) पुलिस साइंस में निर्देश और अनुसंधान प्रदान करना जिसमें कोस्टल पुलिसिंग और साइबर सिक्योरिटी शामिल हैं, (ii) कॉलेज बनना और उसका संचालन, और (iii) पाठ्यक्रम निर्धारित करना, परीक्षाएं संचालित करना और डिग्री एवं अन्य उपाधियां प्रदान करना।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

जम्मू एवं कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल, 2020 संसद में पारित

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

जम्मू एवं कश्मीर आधिकारिक भाषा बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[84] बिल कुछ भाषाओं को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं घोषित करने का प्रयास करता है।

- **आधिकारिक भाषा**: बिल कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आधिकारिक उद्देश्य से इस्तेमाल होने वाली आधिकारिक भाषाएं घोषित करता है। यह प्रावधान उस तारीख से लागू होगा, जिस तारीख को केंद्र शासित प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटर अधिसूचित करेगा। बिल कहता है कि केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा इन आधिकारिक भाषाओं में काम करेगी।
- **अंग्रेजी का इस्तेमाल**: बिल स्पष्ट करता है कि एक्ट के लागू होने से पहले जिन प्रशासनिक और विधायी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल होता था, उनके लिए अब भी अंग्रेजी का इस्तेमाल होता रहेगा।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

कॉरपोरेट मामले

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

कंपनी (संशोधन) बिल, 2020 संसद में पारित

कंपनी (संशोधन) बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[85] बिल कंपनी एक्ट, 2013 में संशोधन करता है। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अपराधों में परिवर्तन**: बिल तीन परिवर्तन करता है। पहला, वह 23 कंपाउंडेबल अपराधों को इनहाउस मध्यस्थता के अंतर्गत करता है जिसमें जुर्माना/कारावास की जगह जुर्माना लगाया जाएगा (जैसे रजिस्टर न रखना इत्यादि)। दूसरा, 11 अपराधों के लिए कारावास के स्थान पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा (जैसे विदेशी कंपनियों से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन न करना)। तीसरा, सात अपराधों को हटा दिया गया है (जैसे राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल के कुछ आदेशों का अनुपालन न करना)।
- **निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर)**: एक्ट के अंतर्गत एक निर्दिष्ट राशि के मूल्य, टर्नओवर या लाभ कमाने वाली कंपनियों से सीएसआर कमिटी बनाने और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% अपनी सीएसआर नीति पर खर्च करने की अपेक्षा की जाती है। बिल उन कंपनियों को सीएसआर कमिटियां बनाने से छूट देता है जिनकी सीएसआर देनदारी प्रति वर्ष अधिकतम 50 लाख रुपए है। इसके अतिरिक्त किसी वित्तीय वर्ष में अपनी सीएसआर बाध्यता से अधिक धनराशि खर्च करने पर अगले वित्तीय वर्ष की सीएसआर बाध्यता में अतिरिक्त राशि जुड़ सकती है।
- **विदेशी क्षेत्राधिकारों में प्रत्यक्ष लिस्टिंग**: बिल केंद्र सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि वह पब्लिक कंपनियों की कुछ श्रेणियों को विदेशी क्षेत्राधिकारों में सिक्योरिटीज़ की श्रेणियों को लिस्ट करने की अनुमति दे सकती है (जैसा निर्दिष्ट किया गया हो)।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

शिक्षा

Anurag Vaishnav (anurag@prsindia.org)

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संस्थान (संशोधन) बिल, 2020 संसद में पारित

भारतीय सूचना प्रौद्योगिक कानून संस्थान (संशोधन) बिल, 2020 संसद में पारित कर दिया गया।[86] यह बिल भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान एक्ट, 2014 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) एक्ट, 2017 में संशोधन करता है। 2017 का एक्ट सार्वजनिक-निजी भागीदारी से स्थापित कुछ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है। एक्ट के अंतर्गत 15 संस्थानों को वर्तमान में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तौर पर निगमित किया गया है।

बिल सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में सार्वजनिक निजी भागीदारी से स्थापित पांच भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने का प्रयास करता है। वर्तमान में ये संस्थान सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत सोसायटियों के तौर पर पंजीकृत हैं और उनके पास डिग्री या डिप्लोमा देने की शक्ति नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित होने पर पांचों संस्थानों को डिग्री देने की शक्ति मिल जाएगी।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

यूजीसी ने ओपन और डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए रेगुलेशंस को अधिसूचित किया

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (ओपन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स) रेगुलेशंस, 2020 को अधिसूचित किया।[87] रेगुलेशंस ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड और ऑनलाइन मोड के जरिए डिग्री या डिप्लोमा देने के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करते हैं। संस्थान केवल उन्हीं ओपन और डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन प्रोग्राम्स को पेश करते हैं जिन्हें क्लासरूम टीचिंग के परंपरागत मोड के अंतर्गत पेश किया जाता है। रेगुलेशंस निम्नलिखित प्रावधान करते हैं:

- **ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) प्रोग्राम्स (ओडीएल)**: उच्च शिक्षण संस्थानों को ओडीएल मोड में प्रोग्राम्स पेश करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा: (i) नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रेडेशन काउंसिल (एनएएसी) द्वारा 3.01 (4 में से) का न्यूनतम एक्रेडेशन स्कोर, या (ii) आवेदन के समय दो पूर्ववर्ती चक्रों में से कम से कम एक में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अंतर्गत टॉप 100 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रैंक।
- **ऑनलाइन पाठ्यक्रम**: संस्थान को ऑनलाइन प्रोग्राम्स का पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा: (i) एनएएसी एक्रेडेशन स्कोर का 3.26 या उससे अधिक होना (4 में से), या (ii) (आवेदन के समय) तीन पूर्ववर्ती चक्रों में से कम से कम एक में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) के अंतर्गत टॉप 100 यूनिवर्सिटी रैंकिंग में रैंक। ऐसे पात्र संस्थान यूजीसी की मंजूरी के साथ ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं।
- **प्रोग्राम्स**: पात्र संस्थान निर्दिष्ट प्रतिबंधित प्रोग्राम्स के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में डिग्री या डिप्लोमा पेश कर सकते हैं। प्रतिबंधित प्रोग्राम्स में इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्ट, कानून और कृषि जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- **क्वालिटी स्टैंडर्ड्स**: ओडीएल या ऑनलाइन पाठ्यक्रम पेश करने वाले सभी संस्थानों को सेंटर फॉर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस बनाना

होगा। इस सेंटर का प्रमुख डायरेक्टर होगा (एसोसिएट प्रोफेसर या उससे उच्च पद का)। यह सेंटर ओडीआई और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था तैयार करेगा। ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के कुल क्रेडिट्स परंपरागत मोड के उन्हीं प्रोग्राम्स के समान होंगे।

ओडीएल और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को पेश करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के आवेदन 15 अक्टूबर, 2020 तक आमंत्रित हैं।[88]

नागरिक उड्डयन

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

एयरक्राफ्ट (संशोधन) बिल, 2020 संसद में पारित

एयरक्राफ्ट (संशोधन) बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[89] बिल एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 में संशोधन का प्रयास करता है। एक्ट सिविल एयरक्राफ्ट्स की मैन्यूफैक्चरिंग, उनके कब्जे, इस्तेमाल, परिचालन, बिक्री, आयात और निर्यात तथा एयरोड्रोम्स की लाइसेंसिंग को रेगुलेट करता है। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अथॉरिटीज़:** बिल नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत तीन मौजूदा निकायों को एक्ट के अंतर्गत वैधानिक निकाय बनाता है। ये अथॉरिटीज़ हैं: (i) डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए), (ii) ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस), और (iii) एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट्स इनवेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी)। इनमें से प्रत्येक निकाय का एक डायरेक्टर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी।
- डीजीसीए कानून या कानून के अंतर्गत अधिसूचित नियमों में निर्दिष्ट सुरक्षा निरीक्षण और रेगुलेटरी कार्यों को पूरा करेगा (इनमें सिविल एयर रेगुलेशन, वायु सुरक्षा और वायु सुरक्षा मानक शामिल हो सकते हैं)। बीसीएएस एक्ट के अंतर्गत निर्दिष्ट नागरिक उड्डयन सुरक्षा से संबंधित रेगुलेटरी निरीक्षण कार्यों को पूरा करेगा (ये हवाईअड्डा ऑपरेटर्स, एयरलाइन ऑपरेटर्स और उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए हो सकता है)। एएआईबी विमान दुर्घटनाओं और हादसों से संबंधित जांच करेगा।
- **अपराध और सजा:** एक्ट के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के लिए अधिकतम दो वर्षों की सजा, या 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। इन अपराधों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एयरक्राफ्ट में हथियार, विस्फोटक या दूसरी खतरनाक वस्तुएं ले जाना, (ii) एयरोड्रोम रेफ्रेंस प्वाइंट के इर्द-गिर्द के रेडियस में बिल्डिंग बनाना या दूसरे कंस्ट्रक्शन करना, और (iii) एक्ट के अंतर्गत किसी निर्दिष्ट नियम का उल्लंघन करना। बिल इन सभी अपराधों पर जुर्माने को बढ़ाकर 10 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए के बीच करता है।

बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

गैर अधिसूचित कार्गो उड़ानों के लिए ओपन स्काई पॉलिसी को अपडेट किया गया

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गैर अधिसूचित कार्गो उड़ानों के भारत से जाने और आने के लिए ओपन स्काई पॉलिसी में परिवर्तनों को अधिसूचित किया है।[90] इस नीति का लक्ष्य कार्गो उड़ानों के संचालन को रेगुलेट करना है। नीति की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- विदेशी और गैर अधिसूचित कार्गो चार्टर उड़ानों के संचालन को सिर्फ छह हवाईअड्डों तक सीमित किया गया है। ये हवाईअड्डे हैं: (i) बेंगलुरू, (ii) चेन्नई, (iii) दिल्ली, (iv) कोलकाता, (v) हैदराबाद, और (vi) मुंबई। इससे पूर्व गैर अधिसूचित उड़ानें हर उस

भारतीय हवाईअड्डों पर संचालित की जा सकती थीं, जहां कस्टम्स/इमिग्रेशन सुविधाएं उपलब्ध हैं।[91]

- निम्नलिखित कार्गो उड़ानों में ये परिवर्तन लागू नहीं होंगे: (i) संयुक्त राष्ट्र या अन्य बहुपक्षीय निकाय जिनमें भारत एक सदस्य है, के जरिए मानवाधिकार एवं आपात जरूरतों के लिए संचालन, और (ii) केंद्र या राज्य सरकारों के मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा किराए पर ली गई कार्गो उड़ानों को किसी भी हवाईअड्डे से संचालन में वरीयता दी जाएगी जहां कस्टम्स/इमिग्रेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं।[90]

विधि एवं न्याय

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

वर्चुअल न्यायालयों पर स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

कार्मिक, जन शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: भूपेंद्र यादव) ने वर्चुअल न्यायालयों की कार्य पद्धति पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[92] कमिटी ने इस बात पर जोर दिया कि देश के इकोसिस्टम में वर्चुअल न्यायालयों को एकीकृत करने की जरूरत है। मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **डिजिटल डिवाइड**: कमिटी ने कहा कि बड़े पैमाने पर वकीलों और वादियों को बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध नहीं है जोकि वर्चुअल सुनवाई के लिए जरूरी हैं। इस समस्या को हल करने के लिए निजी एजेंसियों को शामिल करने की संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए ताकि वे उन लोगों तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के उपकरण लेकर जाएं जो टेक सैवी नहीं हैं। इससे वे लोग अदालतों से कनेक्ट कर पाएंगे।
- **कनेक्टिविटी डिवाइड**: कनेक्टिविटी डिवाइड पर कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकार को राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को समय पर लागू करने के लिए कोशिशें तेज करनी चाहिए।
- **स्किल डिवाइड**: स्किल डिवाइड पर कमिटी ने कहा कि देश के सभी अदालती परिसरों में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए ताकि वकीलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने के लिए जरूरी दक्षताएं हासिल हों। कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि भारतीय बार काउंसिल को कॉलेजों के लॉ कोर्सेज़ में कंप्यूटर कोर्स को विषय के तौर पर शुरू करना चाहिए।
- **अधीनस्थ अदालतें**: कमिटी ने कहा कि निचली अदालतों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और उन्हें वर्चुअल अदालतों को अपनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि वर्चुअल अदालतों में शुरुआत में अधिक निवेश की जरूरत होती है, इसलिए कमिटी ने सुझाव दिया कि वित्त पोषण के नए तरीकों की संभावनाओं की तलाश की जानी चाहिए जैसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल।
- **वर्चुअल न्यायालयों को जारी रखना**: कमिटी ने सुझाव दिया कि कुछ निर्दिष्ट प्रकार की अपीलों और अंतिम सुनवाइयों (जहां शारीरिक उपस्थिति जरूरी नहीं) में सभी पक्षों की सहमति से प्रायोगिक आधार पर वर्चुअल सुनवाइयों की मौजूदा प्रणाली को जारी रखा जाए।
- **आगे का रास्ता**: कमिटी ने सुझाव दिया कि बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स के सदस्यों की सलाह से पायलट आधार पर पूर्ण रूप से वर्चुअल न्यायालय प्रणाली को लागू किया जाए। कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि जिन मामलों में व्यक्तिगत मौजूदगी की जरूरत नहीं है, उन सभी को वर्चुअल न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। जिन मामलों में कानून, तथ्यों की व्याख्या करनी हो और बड़ी संख्या में

चश्मदीदों की जांच करनी हो, उनमें मैनुअल प्रोसेस (जैसे शिकायत दर्ज करना और समन जारी करना) के डिजिटलीकरण के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाया जा सकता है और सुनवाई फिजिकल कोर्टरूम में की जा सकती है।

रिपोर्ट पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 की अधिसूचना

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020 को अधिसूचित किया गया।[93] इन नियमों को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 2019 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। एक्ट ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और संरक्षण का प्रावधान करता है। नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट जारी करना**: एक्ट के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जिला मेजिस्ट्रेट को सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी हासिल करने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए नियमों में अपेक्षा की गई है कि एप्लिकेशन फॉर्म के साथ जेंडर आइडेंटिटी वाला एक एफिडेविट जमा कराया जाएगा।
- नाबालिग की स्थिति में माता-पिता या गार्जियन यह आवेदन करेगा। जिस बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की जरूरत होगी, उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के अंतर्गत गठित बाल कल्याण समिति आवेदन करेगी।
- सर्टिफिकेट को 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए। जिला मेजिस्ट्रेट ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड भी जारी करेगा। जिला मेजिस्ट्रेट द्वारा किसी आवेदक को सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है, अगर वह उसके क्षेत्राधिकार में पिछले एक वर्ष से लगातार रह रहा हो।
- **संशोधित सर्टिफिकेट जारी करना**: अगर व्यक्ति ने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराई है, तो सर्जरी किए जाने अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या चीफ मेडिकल ऑफिसर का सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। उस व्यक्ति को पुरुष या महिला जेंडर वाला संशोधित सर्टिफिकेट 15 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।
- **अपील**: अगर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के आवेदन को रद्द कर दिया जाता है तो आवेदक 90 दिनों के भीतर इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है (अधिसूचित अपीलीय अथॉरिटी के समक्ष)।
- **कल्याणकारी उपाय**: केंद्र और राज्य सरकार मेडिकल बीमा, ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप्स और सस्ते आवास जैसे कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर सकती हैं। सभी शिक्षण संस्थानों में एक ऐसी कमिटी होनी चाहिए जिससे उत्पीड़न या भेदभाव की स्थिति में ट्रांसजेंडर व्यक्ति संपर्क कर सकें। इसके अतिरिक्त सभी इस्टैबलिशमेंट्स में एक समान अवसर नीति, तथा शिकायत अधिकारी होने चाहिए।

वाणिज्य और उद्योग

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

रक्षा क्षेत्र मे ऑटोमैटिक रूट से अधिकतम 74% एफडीआई की अनुमति देने के लिए एफडीआई नीति में संशोधन

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में परिवर्तनों को अधिसूचित कर दिया है।[94] यह नीति क्षेत्र की उन कंपनियों पर लागू है जो उद्योग (विकास एवं रेगुलेशन) एक्ट, 1951 और आर्म्स एक्ट, 1959 के अंतर्गत लाइसेंसिंग के अधीन है। नीति रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति देती है, पर निर्धारित सीमा से परे के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत पड़ती है। नीति में मुख्य परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **नए लाइसेंस की मांग करने वाली कंपनियों में एफडीआई**: नए औद्योगिक लाइसेंसों की मांग करने वाली कंपनियों में ऑटोमैटिक रूट से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। 74% के बाद एफडीआई के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत होगी।
- **मौजूदा लाइसेंसों वाली कंपनियों में एफडीआई**: संशोधित नीति के अंतर्गत मौजूदा लाइसेंस वाली कंपनियों को नए एफडीआई (40% की सीमा के भीतर) हासिल होने पर रक्षा मंत्रालय को सूचित करना होगा, कि क्या ऐसे निवेश से ओनरशिप पैटर्न में बदलाव हो रहा है या स्टेक ट्रांसफर हो रहे हैं। मौजूदा लाइसेंस वाली कंपनियों में 49% से अधिक की एफडीआई के प्रस्तावों के लिए सरकारी मंजूरी लेनी होगी। इससे पूर्व मौजूदा लाइसेंस वाली कंपनियों में सभी एफडीआई, जिनके कारण ओनरशिप में बदलाव होता था या स्टेक का ट्रांसफर होता था, के लिए सरकारी मंजूरी लेनी जरूरी थी।

सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 में संशोधन

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 में संशोधन किए हैं।[95] संशोधन सरकारी खरीद ठेकों में स्थानीय सप्लायर्स को प्राथमिकता देने का प्रावधान करते हैं। 2017 के आदेश में स्थानीय कंटेंट की मात्रा के आधार पर सप्लायर्स को वर्गीकृत करते हैं: (i) क्लास -I स्थानीय सप्लायर (50% या उससे अधिक), (ii) क्लास-II स्थानीय सप्लायर (20%-50%), और (iii) गैर स्थानीय सप्लायर (20% से कम)।[96] स्थानीय कंटेट भारत में मूल्य संवर्धन की मात्रा होती है, जोकि किसी वस्तु के कुल मूल्य से आयातित कंटेट की मात्रा को घटाकर (कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में) कैलकुलेट की जाती है। संशोधन के मुख्य प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अनेक बोलीकर्ताओं के ठेकों में भी प्राथमिकता का प्रावधान**: क्लास- I सप्लायर्स को दी जाने वाली प्राथमिकता उन टेंडर्स पर भी लागू होती है जिसमें कई बोलीकर्तों को ठेका दिया जाता है। इसमें प्राथमिकता इस प्रकार दी जाती है (i) जहां पर्याप्त स्थानीय क्षमता है, वहां अन्य सप्लायर्स की भागीदारी को प्रतिबंधित करना, और (ii) यह सुनिश्चित करना कि कम से कम 50% ठेके क्लास- I सप्लायर्स द्वारा पूरे किए जाएं, जोकि इस शर्त के अधीन है कि उन सप्लायर्स का मूल्य प्राथमिकता की सीमा के भीतर आता हो। प्राथमिकता का दायरा वह अधिकतम सीमा होती है जिसमें क्लास- I सप्लायर द्वारा उद्धृत मूल्य, ठेके के लिए मिली सबसे कम बोली से अधिक हो सकता है।
- **विदेशी भागीदारों के लिए संयुक्त उपक्रम**: जिन वस्तुओं को खरीद के लिए नोडल मंत्रालय ने यह अधिसूचित नहीं किया है कि उसकी पर्याप्त स्थानीय क्षमता है, उनके टेंडर्स को विदेशी कंपनियां भर सकती हैं। एक सीमा से अधिक वाले अधिसूचित ठेकों के लिए विदेशी कंपनियां किसी भारतीय कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम के जरिए भागीदार बन सकती हैं।
- **स्थानीय कंटेंट की सीमा**: संशोधन क्लास-I और क्लास-II सप्लायर्स के लिए स्थानीय

कंटेंट की सीमा क्रमशः 50% और 20% बरकरार रखते हैं। यह स्पष्ट करते हैं कि ये न्यूनतम सीमाएं हैं और यह कि नोडल मंत्रालय सिर्फ स्थानीय कंटेंट की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय की कंटेंट की न्यूनतम सीमा से छूट देने की शक्ति अब भी लागू होती है।

- **विदेशी सप्लायर्स पर प्रतिबंध**: आदेश में नोडल मंत्रालय को अनुमति दी गई है कि वह कुछ देशों की कंपनियों को खरीद ठेके में भाग लेने से रोक सकता है, अगर उसे पता चलता है कि उन्हीं वस्तुओं के भारतीय सप्लायर्स को इन देशों की सरकारी खरीद में भाग लेने से रोका गया है। ऐसे देशों की कंपनियों को रोकने या न रोकने का निर्णय लेने का अधिकार नोडल मंत्रालय के विवेकाधीन है। संशोधन सिर्फ मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वस्तुओं की एक सीमित सूची के अतिरिक्त बाकी सभी खरीद ठेकों में इन देशों की कंपनियों को भाग लेने से रोकते हैं।

रक्षा

Anurag Vaishnav (anurag@prsindia.org)

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 जारी

रक्षा मंत्रालय ने ड्राफ्ट रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020 (डीएपी) को जारी किया।[97,98] डीएपी में भारतीय रक्षा बलों के लिए हथियार और उपकरणों की खरीद का प्रावधान होता है। मंत्रालय ने जुलाई 2020 में ड्राफ्ट डीएपी को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया था।[99] ड्राफ्ट डीएपी रक्षा खरीद प्रक्रिया, 2016 का स्थान लेता है। यह 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगा और 30 सितंबर, 2025 तक, या संशोधित होने तक जारी रहेगा। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **अधिग्रहण का मोड**: डीपीपी-2016 पूंजीगत अधिग्रहण के दो तरीके बताता है: (i) खरीद, और (ii) खरीद और निर्माण। ड्राफ्ट डीएपी अधिग्रहण का एक अन्य तरीका बताता है, 'लीजिंग'। लीजिंग प्रारंभिक पूंजीगत परिव्यय का विकल्प है जिसमें समय-समय पर किराये का भुगतान किया जाएगा। ऐसा उन स्थितियों में किया जाता है जब: (i) एक निश्चित समय पर खरीद व्यावहारिक न हो, या (ii) किसी एसेट की जरूरत सिर्फ एक निर्दिष्ट समय पर हो। इसके अतिरिक्त डीएपी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स द्वारा डिजाइन किए गए सिस्टम्स के अधिग्रहण के लिए अलग प्रणाली भी जोड़ता है।
- **स्वदेशी कंटेंट (आईसी) को बढ़ाना**: डीपीपी 2016 उपरिलिखित दो तरीकों से पांच श्रेणियों में पूंजीगत अधिग्रहण को निर्दिष्ट करती है। ये पांच श्रेणियां इस प्रकार हैं (तालिका 1 के नोट्स में स्पष्ट): (i) खरीद (भारतीय- आईडीडीएम), (ii) खरीद (भारतीय), (iii) खरीद और निर्माण (भारतीय), (iv) खरीद और निर्माण, और (v) खरीद (ग्लोबल)। डीपीपी एक छठी श्रेणी को शामिल करती है, खरीद (ग्लोबल- भारत में निर्माण)। इसके अतिरिक्त उसने खरीद की विभिन्न श्रेणियों में आईसी आवश्यकता को भी बढ़ा दिया है। उपरिलिखित श्रेणियों में आईसी आवश्यकताओं को तालिका 5 में सूचीबद्ध किया गया है।
- **हथियार/प्लेटफॉर्म जिनका आयात प्रतिबंधित है:** अगस्त 2020 में रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों और प्लेटफॉर्म्स की सूची प्रकाशित की थी जिन्हें दिसंबर 2020 से आयात करने से प्रतिबंधित किया गया था।[100] डीएपी में कहा गया है कि सर्विस हेडक्वार्टर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयात के जरिए इनमें से किसी हथियार/प्लेटफॉर्म की खरीद न की जाए। यह उपकरण खरीद (भारतीय-आईडीडीएम) और खरीद (भारतीय) श्रेणियों में खरीदे जा सकते हैं।

तालिका 5: अधिग्रहण की विभिन्न श्रेणियों में स्वदेशी कंटेंट की जरूरत

श्रेणी	डीपीपी-2016	डीपीपी-2020
खरीद (भारतीय-आईडीडीएम)	40% या अधिक	50% या अधिक
खरीद (भारतीय)	40% या अधिक	50% या अधिक (स्वदेशी डिजाइन के लिए)
खरीद और निर्माण (भारतीय)	निर्माण के हिस्से का 50% या उससे अधिक	निर्माण के हिस्से का 50% या उससे अधिक
खरीद और निर्माण	निर्दिष्ट नहीं	50% या अधिक
खरीद (ग्लोबल-भारत में मैन्यूफैक्चर)	श्रेणी मौजूद नहीं	50% या अधिक
खरीद (ग्लोबल)	निर्दिष्ट नहीं	30% या अधिक (भारतीय वेंडरों के लिए)

Note: IC is the percent of cost of indigenous content (in design, development or manufacturing) of contract value. 'Make' part refers to manufacturing portion of the contract. Categories: (i) Buy (Indian-IDDM) refers to the procurement of products from an Indian vendor that have been indigenously designed, developed and manufactured; (ii) Buy (Indian) refers to the procurement of products from an Indian vendor; (iii) Buy and Make (Indian) refers to an initial procurement of equipment from an Indian vendor in a tie-up with a foreign vendor, followed by transfer of technology; (iv) Buy and Make refers to an initial procurement of equipment from a foreign vendor, followed by transfer of technology; (v) Buy (Global-Manufacture in India) refers to a purchase from a foreign vendor where the 50% IC value can be achieved in 'Make' through a subsidiary of the vendor; and (vi) Buy (Global) refers to outright purchase of equipment from foreign or Indian vendors.

कार्मिक

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

सिविल सेवाओं के क्षमता निर्माण के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू

केंद्रीय कैबिनेट ने सिविल सेवा सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण योजना राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम को शुरू करने को मंजूरी दी है।[101] कार्यक्रम को iGOTKarmayogiPlatform नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित किया जाएगा।

कार्यक्रम के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सिविल सर्वेंट्स के कार्यों को इस प्रकार आबंटन करना कि वे पद की जरूरतों से उनकी क्षमताओं का तालमेल बैठाएं, (ii) ऑफ-साइट लर्निंग को पूरा करने के लिए ऑन-साइट लर्निंग पर जोर देना, और (iii) सभी सिविल सेवा पदों को भूमिकाओं, गतिविधियों और दक्षताओं (एफआरएसी) के फ्रेमवर्क में कैलिब्रेट करना और प्रत्येक सरकारी संस्था में चिन्हित एफआरएसी के लिए प्रासंगिक शिक्षण सामग्री तैयार और वितरित करना।

इस कार्यक्रम का प्रबंधन निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा: (i) प्रधानमंत्री की मानव संसाधन (एचआर) परिषद, (ii) क्षमता निर्माण आयोग, (iii) ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए डिजिटल एसेट्स और प्लेटफॉर्म को संचालित करने के लिए एक स्पेशल पर्पज वेहिकल, और (v) कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समन्वय इकाई। क्षमता निर्माण आयोग के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होगा: (i) वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं को मंजूरी देने में पीएम एचआर परिषद की मदद करना, (ii) सिविल सेवा क्षमता निर्माण करने में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों को सुपरवाइज करना, और (iii) सभी सिविल सेवाओं में कॉमन मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नियम बनाना।

क्षमता निर्माण के अतिरिक्त सेवा संबंधी मामलों, जैसे प्रोबेशन की अवधि के बाद स्थायीकरण, तैनाती, कार्य निर्धारण और रिक्तियों की अधिसूचना को भी योग्यता के फ्रेमवर्क में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी

Saket Surya (saket@prsindia.org)

राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस आधार पर 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है कि वे देश की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा और सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं।[102] इन ऐप्स में पबजी मोबाइल लाइट, एलीपे और बाइडू शामिल हैं। मोबाइल और नॉन मोबाइल इंटरनेट एनेब्लड डिवाइस पर इन ऐप्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जून 2020 में मंत्रालय ने इसी आधारपर टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर जैसे 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था।[103]

संचार

Saket Surya (saket@prsindia.org)

ओटीटी संचार सेवाओं के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर सुझावों को जारी किया गया

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर अपने सुझावों को जारी किया है।[104] ओटीटी संचार सेवाओं में वॉयस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग ओवर द इंटरनेट शामिल हैं। ये सेवाएं टेलीकॉम नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली संबंधित सेवाओं तक पहुंच की जरूरत को दरकिनार करती हैं। इन सेवा प्रदाताओं में स्काइप, फेसबुक मैसेंजर और व्हॉट्सएप शामिल हैं। ट्राई ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

- इस समय ओटीटी संचार सेवाओं पर कोई रेगुलेटरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ओटीटी सेवाओं के रेगुलेशन पर पूरे विश्व में विचार विमर्श किया जा रहा है, और रेगुलेशंस के संबंध में सुझाव देने का यह उपयुक्त समय नहीं है।
- ओटीटी सेवाओं में प्राइवेसी और सुरक्षा संबंधी मुद्दों के संबंध में कोई रेगुलेटरी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ओटीटी सेवाएं पहले से ही एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं जोकि इंटरमीडियरीज़ को क्लियर टेक्स्ट या इंटेजिबल फॉर्म में संचार को हासिल करने से रोकती है।[104]

2015 में ट्राई ने कहा था कि ओटीटी सेवाएं ऐसे कार्य करती हैं कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को सिर्फ ग्राहकों के इंटरनेट डेटा के इस्तेमाल में वृद्धि होने से ही राजस्व मिलता है।[105] इंटरनेट नेटवर्क में कैरिएज कंटेंट से अलग होता है जिससे ओटीटी कंटेंट और एप्लिकेशन सर्विस प्रोवाइडर सीधे एंडयूजर से डील करता है। ओटीटी प्रदाता अपने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए टीएसपी के बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं और ऐसे उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करते हैं जिनसे न केवल उन्हें आर्थिक मुनाफा होता है, बल्कि टीएसपी द्वारा दी जाने वाली पारंपरिक सेवाओं के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा भी होती है।[104]

2018 में ट्राई ने ओटीटी संचार सेवाओं के रेगुलेशन से संबंधित मुख्य मुद्दों पर टिप्पणियों को आमंत्रित किया था: (i) क्या ओटीटी प्रदाताओं को टीएसपीज़ के समान माना जाना चाहिए, (ii) क्या ओटीटी प्रदाताओं और टीएसपीज़ के बीच नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड है, और (iii) ओटीटी प्रदाताओं के लिए रेगुलेटरी नियमों में प्राइवेसी और सुरक्षा शामिल हैं।[104]

क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाताओं की इंडस्ट्री बॉडी पर सुझाव जारी

ट्राई ने क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाताओं (सीएसपीज़) की इंडस्ट्री बॉडी के संबंध में सुझावों को जारी किया।[106] क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिर्सोसेज़ जैसे डेटा स्टोरेज, कंप्यूटिंग पावर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की डिलिवरी कहलाती है। ऐसे रिसोर्सेज़ अपने पास रखने के बजाय प्रयोक्ता उन्हें सीएसपी से किराए पर लेते या सबस्क्राइब करते हैं।

सीएपसीज़ के रेगुलेशन पर ट्राई के पूर्व सुझावों के अनुसार, एक निश्चित सीमा से अधिक वाले सभी सीएसपीज़ को क्लाउड सेवाओं की किसी

रजिस्टर्ड इंडस्ट्री बॉडी का सदस्य बनना होगा और उस बॉडी द्वारा निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करना होगा।[106] इससे उद्योग का सेल्फ रेगुलेशन संभव होगा। सितंबर 2019 में दूरसंचार विभाग (डॉट) ने ट्राई से कहा था कि वह सीएसपीज़ की इंडस्ट्री बॉडी के फ्रेमवर्क पर सुझाव दे। डॉट ने कुछ मुद्दों पर सुझाव मांगे थे जैसे रजिस्ट्रेशन के नियम और शर्तें, पात्रता, एंट्री फी और गवर्नेंस का ढांचा। ट्राई ने जो मुख्य सुझाव दिए हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **इंडस्ट्री बॉडी**: सीएसपीज़ की पहली इंडस्ट्री बॉडी को डॉट सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत अलाभकारी निकाय के रूप में स्थापित कर सकता है। ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस (आईएएएस) और प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस (पीएएएस) को इस इंडस्ट्री बॉडी का सदस्य बनना होगा। सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस (एसएएएस) प्रदाताओं का रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक हो सकता है। सीएसपीज़ को कंप्यूटिंग सर्विस की प्रकृति (हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर) के आधार पर आईएएएस, पीएएएस और एसएएएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दूरसंचार सेवा प्रदाता को ऐसे सीएसपी को दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस देने की अनुमति न दी जाए, जो इंडस्ट्री बॉडी का सदस्य न हो।
- **इंडस्ट्री बॉडी का गठन**: इंडस्ट्री बॉडी बनाने के लिए डॉट भारत में संचालित सभी सीएसपीज़ को नामांकन के लिए आमंत्रित करेगा। सरकारी अधिकारियों और उद्योग के नामित विशेषज्ञों वाला एक तदर्थ निकाय बनाया जाएगा। तदर्थ निकाय इंडस्ट्री बॉडी के लिए शुरुआती फ्रेमवर्क और उस बॉडी के अधिकारियों के चुनाव के नियम बनाएगा। चुनावी उद्देश्यों के लिए नामांकित सीएसपीज़ पर विचार किया जाएगा।
- **पात्रता का मानदंड और एंट्री फी**: ट्राई ने कहा है कि पात्रता मानदंड या डॉट को चुकाई जाने वाली एंट्री फी, या डॉट के साथ रजिस्ट्रेशन की अवधि को स्पष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है।

ऊर्जा

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 जारी

ऊर्जा मंत्रालय ने ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 को जारी किया।[107] इन्हें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के अंतर्गत जारी किया गया है। ड्राफ्ट नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **उपभोक्ताओं के अनुरोधों को पूरा करना**: डिस्कॉम्स को वेब-बेस्ड इनफॉरमेशन सिस्टम प्रदान करना चाहिए, और उसमें विभिन्न सेवाओं के लिए सभी एप्लिकेशंस की प्रक्रियाओं तथा ट्रैकिंग मेकैनिज्म का विवरण होना चाहिए। इन प्रक्रियाओं और सेवाओं में नए/अस्थायी कनेक्शन या मौजूदा कनेक्शंस में परिवर्तन करने की मंजूरी देना शामिल है। नए कनेक्शन या मौजूदा कनेक्शन में परिवर्तन को मंजूरी देने का काम मेट्रो शहरों मे सात दिनों, म्यूनिसिपल क्षेत्रों में 15 दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए।
- **मीटरिंग**: नए कनेक्शन को मीटर के साथ दिया जाना चाहिए, बशर्ते राज्य बिजली रेगुलेटरी आयोग (एसईआरसी) ने अन्यथा मंजूरी दी हो। नए मीटर प्री-पेमेंट मीटर होंगे। सभी खराब मीटर्स को वितरण लाइसेंसी को निम्नलिखित अवधि में बदलना होगा: (i) शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे में, (ii) ग्रामीण क्षेत्रों मे 72 घंटों में, या (iii) एसईआरसीज़ द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अवधि में।
- **प्रोज्यूमर के तौर पर कंज्यूमर**: प्रोज्यूमर उन लोगों को कहते हैं जो बिजली उपभोग करने के साथ-साथ उसे उत्पादित भी करते

हैं। प्रोज्यूमर को कंज्यूमर का दर्जा दिया जाएगा। उन्हें रीन्यूएबल एनर्जी उत्पादन यूनिट्स लगाने की अनुमति भी होगी। प्रोज्यूमर की उत्पादन क्षमता एसईआरसीज़ द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- **प्रदर्शन मानदंडों का पालन न करने पर मुआवजा**: एसईआरसीज़ वितरण लाइसेंसी के लिए प्रदर्शन मानदंडों को निर्दिष्ट करेगी जैसे बिजली आपूर्ति में व्यवधान की सीमा, शिकायतों को सुलझाने की अधिकतम समय सीमा, और अन्य कंज्यूमर सेवाएं प्रदान करना। अगर लाइसेंसी इन मानदंडों का पालन नहीं करता तो उसे उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। मुआवजे की राशि को एसईआरसी द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा और उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में समायोजित किया जाएगा।

नवीन और अक्षय ऊर्जा

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

ग्रीन टर्म अहेड मार्केट शुरू

नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने 1 सितंबर, 2020 से ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) को शुरू किया।[108] टर्म अहेड मार्केट का अर्थ है, ऐसा मार्केट प्लेटफॉर्म जिसमें बिजली को अधिकतम 11 दिन एडवांस में टर्म बेसिस पर ट्रेड किया जा सकता है। जीटीएएम से अक्षय ऊर्जा की अल्पावधि खरीद में प्रतिस्पर्धी मूल्य और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। मार्केट की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- जीटीएएम ठेकों को सोलर अक्षय ऊर्जा बाध्यताओं (आरपीओ) और नॉन सोलर आरपीओ में वर्गीकृत किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की न्यूनतम निर्दिष्ट मात्रा के उत्पादन या खरीद के लिए आरपीओ अनिवार्य है। ठेकों की परिभाषा में ग्रीन इंट्रा डे, डे अहेड कंटीजेंसी, दैनिक या साप्ताहिक ठेके शामिल हैं।
- जीटीएएम ठेकों के जरिए खरीदी गई बिजली को खरीदार पर लागू आरपीओ लक्ष्य के अंतर्गत माना जाएगा।
- प्राइज टाइम प्राययॉरिटी बेसिस पर मूल्य तय किए जाएंगे। प्राइज टाइम प्राययॉरिटी बेसिस में बोलियों और प्रस्तावों को उनके एग्जीक्यूशन के मूल्य के आधार पर रैंक किया जाता है। एक ही मूल्य की दो बोलियों या प्रस्तावों की स्थिति में, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर पहले आने वाली बोली या प्रस्ताव को पहला रैंक दिया जाएगा।

जल संसाधन

Prachi Kaur (prachi@prsindia.org)

भूजल निकासी को रेगुलेट और नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी

जल शक्ति मंत्रालय ने देश में भूजल निकासी को रेगुलेट और नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।[109] ये दिशानिर्देश 2018 के उन दिशानिर्देशों का स्थान लेंगे, जिन्हें 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रद्द कर दिया था।[109] नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि 2018 के दिशानिर्देश असस्टेनेबल हैं और अगर इन्हें लागू किया गया तो भूजल का स्तर तेजी से गिरेगा तथा जलाशयों को नुकसान होगा।[109] नए दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी)**: भूजल निकासी करने वाले सभी उद्योगों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स, और खनन प्रॉजेक्ट्स को केंद्रीय भूजल अथॉरिटी या संबंधित राज्य भूजल अथॉरिटी से एनओसी लेना होगा।
- **छूट**: उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों को भूजल निकासी के लिए एनओसी लेने से छूट दी जाएगी। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों मे व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता, (ii) सशस्त्र बलों के संस्थापन और ग्रामीण

एवं शहरी क्षेत्रों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संस्थापन, (iii) कृषि संबंधी गतिविधियां, और (iv) हर दिन 10 क्यूबिक मीटर से कम पानी निकालने वाले सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम।

- **कृषि उपयोग**: राज्य किसानों को बिजली मुफ्त या सबसिडी पर देने की नीति पर विचार कर सकते हैं। वे जल मूल्य निर्धारण नीति बनाने तथा फसल चक्रीकरण, विविधीकरण तथा अन्य उपायों पर विचार कर सकते हैं ताकि किसान भूजल पर बहुत अधिक निर्भर न रहें।
- **भूजल का एबस्ट्रैक्शन चार्ज**: दिशानिर्देशों में विभिन्न प्रकार के प्रयोक्ताओं के लिए भूजल के एबस्ट्रैक्शन चार्ज की दरें भी अलग-अलग हैं। सभी आवासीय अपार्टमेंट्स, ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज़, उद्योगों, खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स को भूजल निकासी की मात्रा और एसेसमेंट यूनिट की श्रेणी के आधार पर एबस्ट्रैक्शन चार्ज चुकाना होगा।
- **जुर्माना**: दिशानिर्देशों में बिना एनओसी के भूजल निकासी पर उद्योगों, खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयोक्ताओं से न्यूनतम एक लाख रुपए के मुआवजा को निर्दिष्ट किया गया है। इसके बाद यह जल निकासी की मात्रा और उल्लंघन की अवधि के आधार पर बढ़ाया जाएगा।

सड़क परिवहन

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव संबंधी प्रावधान हेतु केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2020 को अधिसूचित किया।[110] केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 मोटर वाहनों के लिए लाइसेंस और परमिट तथा मानदंडों को रेगुलेट करता है। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **ई-चालान**: अधिकृत अधिकारी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से (या ऑटो जनरेशन के जरिए) चालान जारी कर सकता है।
- **इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स**: 1989 के नियमों में कहा गया है कि इंस्पेक्शन के दौरान जरूरी सर्टिफिकेट्स की वैध फिजिकल कॉपी को मंजूर किया जाएगा। संशोधित नियम ड्राइवर और कंडक्टरों को इंस्पेक्शन और रेगुलेटरी अनुपालन की स्थिति में वैध इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स और फॉर्म्स रखने की अनुमति देते हैं। इसके अतिरिक्त दस्तावेजों को जब्त करने की स्थिति में सर्टिफिकेट्स एक निर्दिष्ट पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सौंपे जा सकते हैं।
- **हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल**: 1989 के नियमों में प्रावधान है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल लोगों को बाधा और खतरा पहुंचाता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी इस आधार पर किसी ड्राइवर को अयोग्य ठहरा सकती थी। संशोधित नियमों में रूट नैविगेशन के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।

नियम 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होंगे।

फास्टैग का अनिवार्य उपयोग

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है जिसमें प्रस्ताव रखा गया है कि 2017 से पहले बेचे गए सभी वाहनों में फास्टैग अनिवार्य किया जाए।[111] इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव भी रखा गया है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधनों के जरिए वैध फास्टैग को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने के लिए अनिवार्य किया जाए। ड्राफ्ट अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2020 से लागू होगी, यानी प्रकाशन के 30 दिन बाद।

फास्टैग नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन

सिस्टम है। 2017 में नए चारपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन हेतु इसे अनिवार्य किया गया है।[112]

[1] Vital Stats, Parliament functioning in Monsoon Session 2020, September 23, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/PRS_17LS_Monsoon_2020_Vital_Stats.pdf.

[2] Parliament Session Wrap, Monsoon Session – September 14, 2020 to September 23, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/Session%20wrap%20Monsoon%20Session%202020%2017th%20LS.pdf.

[3] Ministry of Health and Family Welfare website, last accessed on March 31, 2020, https://www.mohfw.gov.in/index.html.

[4] Order No. 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, March 24, 2020, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAorder%20copy.pdf

[5] Order No. 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, September 30, 2020, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderDt_30092020.pdf.

[6] The Epidemic Diseases (Amendment) Bill, 2020, Ministry of Health and Family Welfare, September 14, 2020, http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/Asintroduced/Epidemic-As%20intro-E-14920.pdf.

[7] The Epidemic Diseases Act, 1897, http://legislative.gov.in/sites/default/files/A1897-03.pdf.

[8] The Epidemic Diseases (Amendment) Ordinance, 2020, April 22, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/219108.pdf.

[9] The Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020, as passed by Lok Sabha, September 19, 2020, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/PassedLoksabha/116-C_2020_LS_Eng.pdf.

[10] The Taxation and Other Laws (Relaxation of Certain Provisions) Ordinance, 2020, Gazette of India, Ministry of Law and Justice, March 31, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/218979.pdf.

[11] The Insolvency and Bankruptcy Code (Second Amendment) Bill, 2020, https://www.prsindia.org/billtrack/insolvency-and-bankruptcy-code-second-amendment-bill-2020.

[12] The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Ordinance, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/IBC.pdf

[13] S.O. 3265 (E), Ministry of Corporate Affairs, September 24, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/221936.pdf.

[14] The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2020, https://www.prsindia.org/billtrack/salary-allowances-and-pension-members-parliament-amendment-bill-2020.

[15] The Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2020, https://www.prsindia.org/billtrack/salaries-and-allowances-ministers-amendment-bill-2020.

[16] Draft Regulatory Guidelines for Development of Vaccines With Special Consideration For Covid-19 Vaccine, Central Drugs Standard Control Organization, September 21, 2020, https://cdsco.gov.in/opencms/opencms/system/modules/CDSCO.WEB/elements/download_file_division.jsp?num_id=NjUwMA==.

[17] Notice on Information on draft regulatory guidelines for development of vaccines with special consideration for COVID-19 vaccines, Central Drugs Standard Control Organization, September 21, 2020, https://cdsco.gov.in/opencms/opencms/system/modules/CDSCO.WEB/elements/download_file_division.jsp?num_id=NjQ5OQ==.

[18] "Finance Minister announces Rs 1.70 Lakh Crore relief package under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for the poor to help them fight the battle against Corona Virus", Ministry of Finance, March 26, 2020.

[19] "'Pradhan Mantri Garib Kalyan Package Insurance Scheme for Health Workers Fighting COVID-19' extended for another 6 months", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, September 15, 2020.

[20] "Pradhan Mantri Garib Kalyan Package: Insurance Scheme for Health Workers Fighting COVID-19", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, March 29, 2020.

[21] "Advisory Guidelines to state governments for the welfare of migrant workers returning to destination states in the backdrop of COVID-19", Ministry of Labour and Employment.

[22] "Items and norms of assistance under State Disaster Response Fund (SDRF) for containment measures of COVID-19", Ministry of Home Affairs, September 23, 2020, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHALetterdt23092020.pdf.

[23] "Items and norms of assistance under State Disaster Response Fund (SDRF) in the wake of COVID-19 Virus Outbreak", Ministry of Home Affairs, July 14, 2020, https://www.ndmindia.nic.in/images/gallery/Items%20and%20%20norms%20(14.07.2020).PDF.

[24] Report of the Expert Committee on Resolution Framework for COVID-related Stress, Reserve Bank of India, September 4, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/EXPERTCOMMITTEED58A96778C5E4799AE0E3FCC13DC67F2.PDF.

[25] Statement on Developmental and Regulatory Policies, Reserve Bank of India, August 6, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR150332B938A0C7E4C64AE20D15EA85F8DB1.PDF.

[26] "General order for extension of time to hold AGM for FY 2019-20", Press Information Bureau, Ministry of Corporate

Affairs, September 8, 2020, https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1652485.

[27] General Circular No. 18/2020, Ministry of Corporate Affairs, April 21, 2020, http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/Circular18_21042020.pdf.

[28] "UGC Guidelines on Academic Calendar for the First Year of Under-Graduate and Post-Graduate Students of the Universities for the Session 2020-21 in View of COVID-19 Pandemic", University Grants Commission, September 22, 2020, https://www.ugc.ac.in/pdfnews/1019576_Guideline.pdf.

[29] "Metro Operations to Resume in a Graded Manner from 7th September 2020", Ministry of Housing & Urban Affairs, Press Information Bureau, September 2, 2020.

[30] Order No. 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, August 29, 2020, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_Unloc k4_29082020.pdf.

[31] Order No. 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, March 24, 2020, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAorder%20copy.pdf

[32] "Graded Resumption of Delhi Metro Services From 7th September 2020 Onwards", Delhi Metro Rail Corporation, September 2, 2020, http://www.delhimetrorail.com/PressReleaseDocuments/PRESS-RELEASE-02092020.pdf.

[33] "NMRC to resume operations with 15 minutes frequency and reduced timings, passengers to follow social distancing", NOIDA Metro Rail Corporation, September 2, 2020, http://nmrcnoida.com/Media/PressRelease02092020#:~:text=Metro%20services%20on%20Aqua%20Line,minutes%20from%20Monday%20to%20Saturday.

[34] Resumption of Chennai Metro Rail Services From 7th September 2020, Chennai Metro Rail Limited, September 3, 2020, https://chennaimetrorail.org/wp-content/uploads/2020/09/Press-Release-03-09-2020.pdf.

[35] BMRLC- Standard Operating Procedure, Bangalore Metro Rail Corporation Limited, September 3, 2020, https://english.bmrc.co.in/FileUploads/132df4_CareerFiles.pdf.

[36] "Metro Operations to resume from September 3, 2020, Jaipur Metro Rail Corporation Limited, http://transport.rajasthan.gov.in/content/dam/transport/metro/News/past%20news/Past%20News%202020/September%202020/Press%20release%20regarding%20metro%20operation%20%2003.09.2020.pdf.

[37] "Indian Railways to run additional 40 pairs of more special trains w.e.f. 12th September 2020", Press Information Bureau, Ministry of Railways, September 5, 2020, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1651686.

[38] "Ministry of Railways announces 20 pairs of Clone Special trains from 21.09.2020", Press Information Bureau, Ministry of Railways, September 15, 2020, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1654706.

[39] Office Memorandum – RT-PCR Testing at entry airports for the arriving international transfer passengers, Ministry of Civil Aviation, September 2, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/OM_dated_02_09_2020_on_RT_PCR_testing_at_entry_airports.pdf.

[40] Guidelines for international arrivals, Ministry of Health and Family Welfare, August 2, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/RevisedguidelinesforInternationalArrivals02082020.pdf.pdf.

[41] Order No. 06/2020, Ministry of Civil Aviation, September 2, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/DOC090220-09022020132609.pdf.

[42] Order No. 01/2020, Ministry of Civil Aviation, May 21, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/DOC052220-05222020133918.pdf.

[43] "NPPA steps in to cap price of Liquid Medical Oxygen and Medical Oxygen cylinders", Press Information Bureau, Ministry of Chemicals and Fertilizers, September 26, 2020.

[44] "Developments in India's Balance of Payments during the First Quarter (April-June) of 2020-21", Reserve Bank of India, September 30, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR410EF34F39D342E4AE2A1B1127CDA5BD744.PDF.

[45] First Supplementary Demands for Grants, 2020-21, Ministry of Finance, September 2020, https://dea.gov.in/sites/default/files/1st%20Batch%20of%20Syupl%20Demand%202020-2021_1.pdf.

[46] The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Bill, 2020, Ministry of Finance, September 14, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Bilateral%20netting%20of%20qualified%20financial%20contracts%20bill%2C%202020.pdf.

[47] The Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020, Ministry of Finance, September 16, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Banking%20Regulation%20Bill%2C%202020%20as%20passed%20by%20LS.pdf,

[48] The Banking Regulation (Amendment) Ordinance, 2020, June 26, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Banking%20Regulation%20%28A%29%20Ordinance%2C%202020.pdf.

[49] The Factoring Regulation (Amendment Bill), 2020, Ministry of Finance, https://www.prsindia.org/billtrack/factoring-regulation-amendment-bill-2020.

[50] No. 1719, Bulletin Part-II, Lok Sabha, September 25, 2020, http://164.100.47.193/bull2/2020/25.09.2020.pdf.

[51] The Standing Committee on Finance, 2019-20, 12th Report, http://164.100.47.193/lsscommittee/Finance/17_Finance_12.pdf.

[52] Circular No. PFRDA/2017/18/PF/2, Pension Fund Regulatory and Development Authority, May 4, 2017, https://www.pfrda.org.in/writereaddata/links/xyz123305fe622-0679-4127-a47a-483063aa70e2.pdf.

[53] Investments- Master Circular, IRDAI (Investment) Regulations, 2016, Insurance Regulatory and Development Authority of India, May 2, 2017,

https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/Circulars_Layout.aspx?page=PageNo3146&flag=1.

[54] The Report of the Working Group on formation of an Indian Pandemic Risk Pool, Insurance Regulatory and Development Authority of India, https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/whatsNew_Layout.aspx?page=PageNo4242&flag=1.

[55] IRDAI/RI/ORD/MISC/182/07/2020, IRDAI, July 08, 2020, https://www.irdai.gov.in/ADMINCMS/cms/whatsNew_Layout.aspx?page=PageNo4181&flag=1.

[56] The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020, as passed by Lok Sabha, September 22, 2020, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/PassedLoksabha/122-C_2020_LS_Eng.pdf.

[57] The Industrial Relations Code, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Industrial%20Relations%20Code%2C%202020.pdf.

[58] The Code on Social Security, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Code%20On%20Social%20Security%2C%202020.pdf.

[59] The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020, as passed by Lok Sabha, September 17, 2020, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/PassedLoksabha/113_2020_LS_Eng.pdf.

[60] The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Ordinance, 2020, Gazette of India, Ministry of Law and Justice, June 5, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/219745.pdf.

[61] The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020, as passed by Lok Sabha, September 17, 2020, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/PassedLoksabha/Bill%20Farmers%20%20Empowermente%20(As%20passed_Eng).pdf.

[62] The Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020, https://www.prsindia.org/billtrack/essential-commodities-amendment-bill-2020.

[63] The Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/ECA.pdf.

[64] First Advance Estimates of Production of Foodgrains and Commercial Crops for 2020-21, Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, September 22, 2020, https://eands.dacnet.nic.in/Advance_Estimate/1st%20Adv.%20Estimates2020-21%20English.pdf.

[65] "Cabinet approves Minimum Support Prices (MSP) for Rabi Crops for marketing season 2021-22", Press Information Bureau, Cabinet Committee on Economic Affairs, September 21, 2020.

[66] The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020, https://www.prsindia.org/billtrack/assisted-reproductive-technology-regulation-bill-2020.

[67] The National Commission for Indian System of Medicine Bill, 2019, Ministry of Health and Family Welfare, January 1, 2020, http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/PassedRajyaSabha/NCIS-RSP-18320-E.pdf.

[68] The Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill, 2020, Ministry of Health and Family Welfare, September 14, 2020, http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/Asintroduced/Ind%20med%20cen%20council-As%20RS-E-14920.pdf.

[69] The Indian Medicine Central Council Act, 1970, http://legislative.gov.in/sites/default/files/A1970-48_0.pdf.

[70] The Indian Medicine Central Council (Amendment) Ordinance, 2020, April 24, 2020, http://legislative.gov.in/sites/default/files/legislative_references/ORDINANCES%202020%20%2808.07.2020%29.pdf.

[71] The National Commission for Homoeopathy Bill, 2020, March 18, 2020, http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/PassedRajyaSabha/National%20Com%20for%20Homoeopathy-18320-RS%20P-E.pdf.

[72] The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2020, Ministry of Health and Family Welfare, September 14, 2020, http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/Asintroduced/Hompathy%20council-As%20RS-E-14920.pdf.

[73] The Homoeopathy Central Council Act, 1973, http://legislative.gov.in/sites/default/files/A1973-59.pdf.

[74] The Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2020, April 24, 2020, http://legislative.gov.in/sites/default/files/legislative_references/ORDINANCES%202020%20%2808.07.2020%29.pdf.

[75] The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2018, July 23, 2018, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Homoeopathy%20Central%20Council%20%28Amendment%29%20Bill%2C%202018%20Bill%20Text.pdf.

[76] The Homoeopathy Central Council (Amendment) Bill, 2019, June 21, 2019, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Homoeopathy%20Central%20Council%20%28Amendment%29%20Bill%2C%202019.pdf.

[77] The Institute of Teaching and Research in Ayurveda Bill, 2020, Ministry of Health and Family Welfare, February 10, 2020, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/PassedLoksabha/33C_2020_LS_E.PDF.

[78] The National Commission for Allied and Healthcare Professions Bill, 2020, Ministry of Health and Family Welfare, September 15, 2020, http://164.100.47.4/BillsTexts/RSBillTexts/Asintroduced/National%20com%20Allied-As%20RS-E-15920.pdf.

[79] Notification No 15(1)2016/School Children Regulation/Enf/FSSAI, Ministry of Health and Family Welfare, September 4, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/221559.pdf.

[80] "Cabinet approves establishment of new All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at Darbhanga, Bihar", Press Information Bureau, Cabinet, September 15, 2020.

[81] The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020, Ministry of Home Affairs, https://www.prsindia.org/billtrack/foreign-contribution-regulation-amendment-bill-2020.

[82] The National Forensic Sciences University Bill, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/The%20National%20Forensic%20Sciences%20University%20Bill%2C%202020.pdf.

[83] The Rashtriya Raksha University Bill, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/The%20Rashtriya%20Raksha%20University%20Bill%2C%202020.pdf.

[84] The Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/J%26K%20Language%20Bill.pdf.

[85] The Companies (Amendment) Bill, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Companies%20%28Amendment%29%20Bill%2C%202020.pdf.

[86] The Indian Institute of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020, Ministry of Human Resource Development, https://www.prsindia.org/billtrack/indian-institutes-information-technology-laws-amendment-bill-2020.

[87] Order No. F. 1-1/2020(DEB-I), Notification, University Grants Commission, September 4, 2020, https://www.ugc.ac.in/pdfnews/221580.pdf.

[88] Invitation of Proposals from HEIs for recognition of Open and Distance Learning (ODL) programmes from 2020-21 and onwards, Public Notice, University Grants Commission, September 23, 2020, https://www.ugc.ac.in/pdfnews/7556893_1.pdf.

[89] The Aircraft (Amendment) Bill, 2020, as passed by the houses of Parliament, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/PassedBothHouses/Aircraft-BH-15920.pdf.

[90] AIC 33/2020 - Open sky policy for non-scheduled cargo flights to/from India, Director General of Civil Aviation, September 17, 2020, https://dgca.gov.in/digigov-portal/Upload?flag=iframeAttachView&attachId=150082378

[91] AIC 18/1992 – Open sky policy for cargo flights from India, Director General of Civil Aviation, May 11, 1992, http://164.100.60.133/aic/aic18_92.pdf.

[92] "Report No. 103: Functioning of Virtual Courts/Court Proceedings through Video Conferencing", Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, Rajya Sabha, September 11, 2020, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/18/125/103_2020_9_16.pdf.

[93] The Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020, Ministry of Social Justice and Empowerment, September 29, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222096.pdf.

[94] Press Note No. 4 (2020 Series), Ministry of Commerce and Industry, https://dipp.gov.in/sites/default/files/pn4-2020_0.PDF.

[95] Order No. P-45021/2/2017-PP (BE-II), Ministry of Commerce and Industry, September 16, 2020, https://dipp.gov.in/sites/default/files/PPP%20MII%20Order%20dated%2016%2009%202020.pdf.

[96] Order No. P-45021/2/2017-PP (BE-II), Ministry of Commerce and Industry, June 4, 2020, https://dipp.gov.in/sites/default/files/PPP%20MII%20Order%20dated%204th%20June%202020.pdf.

[97] "Raksha Mantri Shri Rajnath Singh unveils Defence Acquisition Procedure – 2020", Press Information Bureau, Ministry of Defence, September 28, 2020.

[98] Defence Acquisition Procedure, 2020, Ministry of Defence, September 30, 2020, https://www.mod.gov.in/dod/sites/default/files/DAP2030new_0.pdf.

[99] Draft Defence Acquisition Policy, 2020, Ministry of Defence, July 27, 2020, https://mod.gov.in/sites/default/files/Amend270720.pdf.

[100] "MoD's big push to Aatmanirbhar Bharat initiative; Import embargo on 101 items beyond given timelines to boost indigenisation of defence production", Press Information Bureau, Ministry of Defence, August 9, 2020.

[101] "Cabinet approves "Mission Karmayogi" – National Programme for Civil Services Capacity Building (NPCSCB)", September 2, 2020, Press Information Bureau, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension.

[102] "Government Blocks 118 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, security of state and public order", Press Information Bureau, Ministry of Electronics and Information Technology, September 2, 2020, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1650669.

[103] "Government Bans 59 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, defence of India, security of state and public order", Press Information Bureau, Ministry of Electronics and Information Technology, June 29, 2020, https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1635206.

[104] "Regulatory Framework for Over-the-top (OTT) services Recommendations on Regulatory Framework for Over-The-Top (OTT) Communication Services", Telecom Regulatory Authority of India, September 14, 2020, https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendation_14092020_0.pdf.

[105] "Consultation Paper on Regulatory Framework for Over-the-top (OTT) services", Telecom Regulatory Authority of India, March 27, 2015, https://trai.gov.in/sites/default/files/OTT-CP-27032015.pdf.

[106] "Recommendations on Cloud Services", Telecom Regulatory Authority of India, September 14, 2020, https://trai.gov.in/sites/default/files/Recommendations_CS_14092020_0.pdf.

[107] 'Draft Electricity (Right of Consumers) Rules, 2020, Ministry of Power, September 9, 2020, https://powermin.nic.in/sites/default/files/webform/notices/Draft_Electricity_Rights_of_Consumers_Rules_2020.pdf.

[108] "Union Power Minister launches Green Term Ahead Market (GTAM) in electricity through video conferencing", Press Information Bureau, Ministry of New and Renewable Energy, September 1, 2020.

[109] S.O. 3289(E), Guidelines to regulate and control ground water extraction in India, Ministry of Jal Shakti, September 24, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/221952.pdf.

[110] The Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2020, Ministry of Road Transport & Highways, September 25, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/222018.pdf.

[111] "Promotion of Digital and IT based payment of fees through FASTag", Press Information Bureau, Ministry of Road Transport and Highways, September 3, 2020.

[112] Notification No GSR 541 (E), Ministry of Housing & Urban Affairs, September 1, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/221521.pdf.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।